सिसकता बचपन
आखिर क्यों ?

डॉ० गीता शर्मा

उत्कर्ष प्रकाशन

ISBN: 978-93-84312-92-3

© सुरक्षित लेखकाधीन

मुद्रक एवं प्रकाशक : **उत्कर्ष प्रकाशन**
मुख्य कार्यालयः
142, शाक्य पुरी, कंकरखेड़ा,
मेरठ कैन्ट-250001 (उ0प्र0)
फोनः 0121-2632902, 08791681996
प्रशासनिक कार्यालयः
लोहिया गली-4, बाबरपुर, शाहदरा,
दिल्ली-110 094 फोनः 09897713037

ई-मेल : uttkarshprakashan@gmail.com
वेबसाइट : www.utkarshprakashan.in

प्रथम संस्करण : 2016
मूल्य : 100/-

लेखिका : डॉ. गीता शर्मा

समर्पण

देश के उन असंख्य
बच्चों की पीड़ा को
जिन्हें न्याय
नहीं मिल पाता ।

अपील

यह पुस्तक मात्र बचपन की पीड़ा की अभिव्यक्ति तथा उनके जीवन में खुशहाली का रंग भरने की सभी जन से बतौर अपील है। अतः सभी पाठकों से विनम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार की मत भिन्नता या असहमति होने पर विवाद न उत्पन्न करें और अनजाने में कहीं पर त्रुटि हो या किसी को कष्ट पहुंचे तो क्षमा करियेगा। साथ ही सभी विद्धजनों एवं सभ्यजन से अनुरोध है कि राष्ट्रहित में सिसकते बचपन को सुनहरे बचपन में तबदील करने के हवन में आहुति देना चाहें और वर्णित घटनाओं को स्वयं से सम्बन्धित करके न देखें, ऐसी घटनाएं सामाजिक जीवन में हम सभी के समक्ष घटित होती रहती हैं। अतः सभी देशवासियों से अनुरोध है कि बाल शोषण से मुक्त राष्ट्र के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करने की कृपा करें ।

-डॉ. गीता शर्मा

कुछ अपनी बात

'सिसकता बचपन आखिर क्यों ?' यह मात्र पुस्तक नहीं है, वह दर्द है जिसको बाल कल्याण समिति में कार्य करने के दौरान न केवल देखा, बल्कि एक साल से ज्यादा कनाडा में रहने के बावजूद मेरे मन में टीस पैदा करता रहा । आखिर कब तक भावी युवा पीढ़ी के सपनों की बलि चढ़ायी जाती रहेगी। निर्भया काण्ड जैसी दर्दनाक घटनाओं की परिणिति के पश्चात बाल अधिकार कानून संशोधन पारित हो गया। इस संशोधन का सभी ने स्वागत किया, शायद अपनी सुरक्षा के प्रति भयग्रस्त थे, लेकिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की फितरत किशोर और व्यस्कों में क्यों बढ़ रही है ? यह सोचनीय विषय है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण तथा आर्थिक, सामाजिक विषमता बच्चों के व्यक्तित्व पर कुप्रभाव डाल रही है। हमारे यहां बाल श्रम निवारण, बाल-विवाह प्रतिषेध, किशोर-न्याय, देख-रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 एवं पोक्सों अनेक कानून पारित हैं। बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड दोनों में सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त करने का प्रावधान बाल. कों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर किया गया। प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण इकाई का गठन है। बाल कल्याण/पुलिस अधिकारी हर थाने पर नियुक्त है, परन्तु फिर भी बचपन सिसक रहा है। देश में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मिड-डे-मील या धन-वितरण जैसी व्यवस्थाएं हैं, परन्तु उन सबका लाभ वास्तव में जिसको मिलना चाहिए था, क्या वह मिल पा रहा है ? जितनी ज्यादा नीतियां उतना ही अधिकार भ्रष्टाचार का फैलाव बाल हित को भी प्रभावित कर रहा है। बेहतर होगा कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं अमीर सभी के लिए आयकर विवरण अनिवार्य करके आधार से जोड़ दिया जाए और यह विवरण कार्यवाही निःशुल्क उपलब्ध हो, उसी के आधार पर धनराशि आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर जरूरतमंद गरीब बच्चों के खाते में सीधे ऑनलाइन पहुंचे जिससे परिवार के बच्चे बालश्रम एवं भीख मांगने जैसे कार्य के लिए विवश न हो सके। यह सुविधा 18 वर्ष तक बच्चों को मिले, यह राशि आर्थिक स्तर के आधार पर देय हो, न कि लड़के-लड़की, जाति-धर्म के विभेद पर आधारित हो।

देश में बढ़ती जनसंख्या भी बच्चों की स्थिति पर कुप्रभाव डाल रही है। अतः गरीब परिवारों में कम बच्चों की संख्या पर थोड़ी भी राशि ज्यादा देय रखकर उनकी सोच में बदलाव किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष अरबों रुपया देश का नयी पुस्तकें/स्टेशनरी इत्यादि की खरीद पर चला जाता है। इसके स्थान पर पुस्तकें स्कूल से निःशुल्क बच्चों को मिलें और स्कूल के सत्र समाप्त होने पर जमा हो और पुस्तक को क्षति पहुंचाने पर ही छात्रों से उसकी लागत ली जाए तो बच्चों की

शिक्षा से जुड़े अपव्यय को अन्यत्र उनके हित के लिए उपयोग किया जा सकता है।

कनाडा में बारहवीं तक बच्चों को पेंसिल का उपयोग करते देखा जबकि अपने देश में बहुत छोटी कक्षाओं से पैन का इस्तेमाल भी शिक्षा की लागत को बढ़ा रहा है। अतः देश की सरकार से अनुरोध है कि इस अपव्यय को रोकने की दिशा में सार्थक पहल करना चाहिए, जिससे यह धन गरीब बच्चों के पोषण एवं अन्य जरुरतों पर व्यय किया जा सके।

यह पुस्तक बचपन की पीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ सभी प्रबुद्ध जन, व्यवसायी वर्ग, प्रशासन, पुलिस एवं बालहित संरक्षण से जुड़े सामाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तिओं से अपील है कि देश के बचपन को संवारने में योगदान दें।

इस पुस्तक के लिए महत्वपूर्ण सुझाव श्री हरिकान्त शर्मा, श्री पुष्पेन्द्र कुमार, श्री विकास कुमार तथा श्री अतुल सोनी से प्राप्त हुए, उनका आभार व्यक्त करती हूं। अभी हाल में ही शैली चौधरी द्वारा एम०फिल० उपाधि हेतु किशोर न्याय अधिकार अधिनियम एवं समाज की जागरुकता में मीडिया की भूमिका पर लिखित शोध प्रबन्ध के लिए मार्गदर्शक डॉ० महेन्द्र कुमार आदि का भी धन्यवाद अदा करती हूं कि बाल अधिकारों के क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण स्तम्भ पर कार्य करके उन्होंने नयी शुरुआत की है। कैलाश सत्यार्थी जी, विशेष गुप्ता, भारत भूषण, हरप्रीत कौर, जितेन्द्र गुलशन जी का भी आभार व्यक्त करती हूं।

गत् पांच वर्षों में बाल कल्याण समिति का दायित्व वहन करने में सहयोग देने एवं सदैव मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए श्री सुरेन्द्र सिंह (आई०ए०एस०), श्री कौशल राज शर्मा (आई०ए०एस०) जिलाधिकारी कानपुर, डॉ० इन्द्रमणि त्रिपाठी (पी०सी०एस०), सी०डी० ओ० बिजनौर, श्री जे०पी० गुप्ता (एस०डी०एम०) कुशीनगर के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं।

फेसबुक के मित्रों, समस्त समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कार, अमर उजाला, जनवाणी, राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी, सरिता पत्रिका, इण्डिया टुडे, इण्डियन एक्सप्रैस, द साउथ एशियन पोस्ट सप्ताहिक पत्र, सच्चाई अभी तक इत्यादि समस्त प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्र का आभार व्यक्त करती हूं जहां से सामिग्री का संकलन करने में सहायता मिली। साथ ही गरिमा, गीतांजलि, संजीव वर्मा, विनीत कुमार, योगेश प्रताप चौहान, रोहताश वर्मा, ओ०पी० पाल, अनिल रायल जी द्वारा दिये गए सहयोग के लिए भी धन्यवाद अदा करती हूं।

अन्त में प्रकाशन सहायोग हेतु हेमन्त शर्मा (उत्कर्ष प्रकाशन) का भी आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने अमूल्य समय निकालकर मेरे विचारों को मूर्त रूप दिया और पुस्तक के रूप में आप तक पहुंचाया।

-डॉ० गीता शर्मा

1.

पारिवारिक रंजिश बच्चों को जुर्म के दल-दल में धकेल देती हैं। उनके सपनों को चकनाचूर कर देती हैं। यह केस ऐसे ही किशोरों की कहानी हैं। ग्रामीण पारिवारिक रंजिश में किसी विवाद के कारण इस किशोर की पिता की हत्या उनकी बहुत छोटी आयु में कर दी गयी। पिता के स्नेह के अभाव में इसकी परवरिश का दायित्व इसकी माँ पर आ गया। उनका पूरा परिवार इस घटना को भुला नहीं पाया। किशोरावस्था में आते-आते सामाजिक एवं पारिवारिक परिवेश जिसके पिता की कमी इतनी महसूस नहीं होनी देनी चाहिए थी उसने बच्चे में वक्त के साथ उस हत्या का बदला लेने का बीज इस बच्चे की मन की कच्ची मिट्टी में रोंप दिया और तमाम उम्र इस बच्चे को अपराध की दुनिया का मुसाफिर बनने का रास्ता दिखा दिया।

इस किशोर ने अपने पिता की हत्या का बदला देने की खूनी रंजिश में आरोपित व्यक्तियों की हत्या कर दी। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह संस्था में भी यह किशोर उत्पात मचाये रखता था, अन्य बच्चों एवं स्टाफ के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। संस्था से एक बार भागा भी था। जब तक संस्था में रहा, वातावरण प्रभावित रहा।

इस किशोर बच्चे को 26 जनवरी पर ए-वतन हमको तेरी कसम देशभक्ति गीत जिस अंदाज में गाते देखा तो इसके चेहरे एवं भावों से कहीं नहीं लगा कि वह हत्या कर सकता हैं। इस समय संस्था में एक लम्बें समय के बाद मेरा जाना हुआ था, ज्यादा जानकारी नहीं थी। समाचार पत्र में इस किशोर द्वारा जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, उसकी चर्चा पढ़ी थी। यह महसूस हुआ कि भावनाएं इसके दिल में हैं, यानि बीज सही था पर परवरिश यानि खाद पानी में समस्या थी जिससे यह वृक्ष बनने से पहले ही रोग ग्रस्त हो गया। इस किशोर का जीवन बर्बादी के रास्ते पर चल चुका है। वह स्वयं भी समझाता था कि उसकी ज़िन्दगी छोटी है, इसलिए मरने से पहले उसको अपने अंदाज में जीना चाहता था।

इस बच्चे के हिस्से में जमीन जायदाद बहुत ज्यादा थी। एक दिन संस्था अधीक्षक के कहने पर उससे बातचीत करने का मन बनाया। पहले हल्के-फुल्के अंदाज में उसकी शिक्षा-रूचि एवं परिवार में भाई-बहन के बारे में बातचीत हुई, हंसी में कहने लगा दीदी पांच-दस बीघे जमीन दान कर सकता हूँ। आगे इस बच्चे से मैंने कहा कि तुमने हत्या क्यों की ? तुम भी अब अंदर आ गये, तुम्हारे पिता भी नहीं रहे, तुमको अपनी मां का सहारा बनना चाहिए। इस पर हल्के से मुस्काया और बोला

''दीदी मां की इच्छा को ही तो पूरा किया। मेरी मां चाहती थी कि पिता की हत्या का बदला लें तभी उसके मन को शांति मिलेगी।''

यह सुनकर थोड़ी देर को मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक गयी फिर थोड़ा नियंत्रित किया और बातचीत जारी रखी अब गम्भीर होकर मैंने उससे पूछा बेटा तुमने हत्या की, इससे तुम्हारे पिता का नाम कितने लोगों को पता चला? क्या कोई पिता यह चाहेगा कि उसकी संतान खून बहाकर उसका नाम रोशन करें? अगर पिता की याद में शिक्षण संस्था या अस्पताल चालू करते, न जाने कितने लोगों को जीवन मिलता, सदा के लिए उनका नाम जिंदा रख सकते थे।

इस समय इस किशोर के चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू थे जिसको बहने से रोकने का प्रयास कर रहा था। उससे कहा ''वह यहां से हटने के बाद जुर्म की दुनिया से दूर होने की सोच सकता हैं।'' वह बोला ''दीदी मैं जानता हूं मेरी ज़िन्दगी छोटी हैं, केस खत्म होने पर संस्था बाहर निकलते ही दूसरे पक्ष के लोग मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे अभी भी गांव में मेरे घर के लोगों को वो लोग तंग करते रहते हैं। मुझे जिन्दा रहने के लिए अपने बचाव में खून खराबा करना पड़ेगा।''

इस किशोर जैसी कहानी न जाने कितने मासूम बच्चों की हैं, जिनका परिवार ही उनको अपराध की दुनिया में धकेलने में जाने अनजाने दोषी हैं। यहां पर प्रश्न है कि क्या उनके बचपन एवं भाग्य की इस नियति को बदला जा सकता था ?

हाँ, ऐसे बच्चे जिसके बचपन में त्रासदी या शोषण की घटनाएं घटती हैं, उनके परिवार के लिए आर्थिक रूप से सम्पन्न होना भी महत्व नहीं रखता है। ऐसी घटनाएं समाज के प्रति घृणा का ज्वालामुखी पीड़ित बाल मन में पैदा कर देती है जब वह फटता है तो उसकी चपेट में अनेक लोग आ जाते हैं। यदि ऐसी घटनाओं के घटित होने के तुरंत बाद मनोवैज्ञानिक/नैदानिक परामर्शदाता/पारिवारिक परामर्शदाता इत्यादि की व्यवस्था विकसित देशों की भांति सरकारी पहल पर उपलब्ध इन बच्चों एवं परिवार दोनों को करवायी जाए तथा स्कूल में परामर्शदाता द्वारा समय-समय पर इन बच्चों की ऊर्जा को सही मार्गदर्शन दिया जाए तो ऐसे अनेक बच्चों को अपराध के दल-दल में उतरने से रोका जा सकता है।

यह अजीब लगता है कि पिता की बचपन में मृत्यु के उपरान्त संघर्ष के सफल होने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई०ए०एस०) में चयनित महिला जिलाधिकारी को मीडिया में बहुत स्थान दिया पर उनके बचपन को खुशहाल बनाने का प्रयास शायद किसी ने किया हो, उनकी मां को नमन जिसने संघर्ष करके भी बच्चों के जीवन को दिशा दी। सभी से विनम्र प्रार्थना है कि बचपन बचाने के साथ-साथ उसे खुशहाल बनाने में योगदान दें।

2.

बेटी के जन्म को अभिशाप समझने की सोच में आज भी बदलाव नहीं आया है। कनाडा में नैदानिक मनोवैज्ञानिक हरप्रीत कौर जो बच्चों के केसों में परामर्शदाता का कार्य करती हैं, उन्होंने बतलाया कि भारतीय मानसिकता यहां आकर भी नहीं बदलती। उन्होंने एक घटना बतलायी जिसमें एक मासूम बच्ची को उसके बेटी होने का दर्द सहना पड़ा। वह दुखी थी कि विदेश आकर भी अपनी संकीर्ण सोच को त्याग नहीं पाते और उसकी चपेट में मासूम कलियों के सपने भी बेरहमी से कुचलने लगते हैं। दुखद यह है कि आखिर वह बेटी भी उसके परिवार का अंश हैं, काश समझ पाते।

यह प्यारी सी छोटी सी बच्ची का केस स्कूल की तरफ से आया। यह बच्ची साथ वाले हमउम्र बच्चों के साथ झगड़ा करने लगी और बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। बच्ची के बारे में जानने पर पता चला कि इस बच्ची की दादी को पोता चाहिए था इसलिए वह इस मासूम और उसकी मां के साथ सही व्यवहार नहीं करती थी। इस बच्ची के जन्मदिन पर उसकी टीचर ने एक प्यारी सी गुड़िया दी, जिससे इस बच्ची को लगाव था। वह इस गुड़िया के साथ खेलती, दादी के गुस्से को भुलाने की कोशिश करती।

कुछ दिनों के बाद उसकी बहन का जन्म हुआ। घर में एक ओर बेटी का आगमन हो गया तो दादी का व्यवहार और खराब इस गुड़िया के साथ हो गया। दादी ने बच्ची की गुड़िया छीन ली कि सारे दिन गुड़िया से खेलती थी और एक कुड़ी और तूने बुला ली और बोली यह गुड़िया तुझे तब खेलने को मिलेगी जब तेरा भाई आ जायेगा। यह बच्ची रोती रही, तड़पती रही लेकिन दादी का मन नहीं पसीजा। दादी के इस व्यवहार से बच्ची के मन में कुंठा और आक्रोश को

जन्म दिया जिसकी अभिव्यक्ति उसके स्कूल में प्रकट की थी।

यह बच्ची परामर्श के लिए आती रही तो एक दिन मासूमियत से बोली, उसे गुड़िया दादी जल्दी ही दे देंगी खेलने के लिए। वह बहुत खुश थी। दादी ने बतलाया है कि उसका भाई आने वाला है और भाई के जन्म होते ही गुड़िया खेलने को मिल जायेगी। यह मासूम बच्ची छोटी थी, ज्यादा नहीं समझ सकती थी। इसके पिता के बाहर न जाने पर मां को घर से निकलने का मौका मिला तो बातचीत में पता चला कि उसका पति यानि बच्ची का बाप भारत गया है, दूसरी शादी करने के लिए। वह बेटे की मां नहीं बन सकी लेकिन उसकी सास को हर हाल में पोते का मुंह देखना है। इस बच्ची को यह मालूम नहीं था बस वह तो यह कह रही थी कि उसके पापा भाई लेने गये है, अब दादी गुड़िया दे देंगी। वह बच्ची खुश थी, लेकिन अपने, अपनी बहन एवं मां के जीवन में आने वाले भूचाल से अनभिज्ञ थी।

आज 21वीं सदी में विज्ञान ने बता रखा है कि बेटी के जन्म में मां दोषी नहीं है, दूसरा प्रश्न यह है कि जन्म देने वाली जननी ही न हो तो कृष्ण, महावीर, ईसा मसीह, राम, नानक जी इस धरती पर अवतरित हो पाते आखिर संकुचित सोच को कब छोड़ेंगे ? क्या मासूम बच्चियों के बचपन को सिसकने पर मजबूर करके हम अपने धार्मिक होने का प्रमाण दे सकते हैं? यह परम्पराएं क्या एक सभ्य संस्कृति एवं समाज होने का दावा कर सकती है ?

3.

कुछ वर्ष पूर्व बच्चों पर आधारित वृतचित्र लिसन टू भी के निमार्ण के दौरान स्टूडियो पर एडिटिंग के सम्बन्धित काम के लिए रोजाना जाना पड़ रहा था। वहाँ पर एक बच्चा चाय लेकर आया करता था। लगभग चौदह पन्द्रह वर्ष का था। उससे एक दिन बातचीत में पढ़ाई के बारें में पूछा तो हँसने लगा और कहने लगा कि मैडम जी इस बात का क्या पता कि पढ़कर नौकरी मिल जायेगी। काम धन्धा सीख रहा हूँ। कोई काम सीखना भी तो पढ़ाई है। बातों में पता चला कि पाँचवी तक की पढ़ाई के बाद उसके ओर भाई बहिन भी इसी प्रकार के काम कर रहे है। सबकी कमाई मिलाकर परिवार की आमदनी लगभग 25]000 रुपये हो जाती है। परिवार का खर्च आराम से चल जाता है। वहीं पर एक सज्जन बैठे थे, उस बालक के परिवार के बारें में थोड़ा अधिक जानते थे, इस बालक के जाने के बाद बतलाया कि इसका पिता नशेड़ी है और घर में नशा करके पड़ा रहता है, कोई काम धन्धा नहीं करता और अपने सभी बच्चों की कमाई में मजे कर रहा है।

कुछ दिन बाद पता चला कि वह बालक वहाँ से काम छोड़कर चला गया, उसका अपने मालिक से विवाद हो गया था, उसकी मेहनत के हिसाब से मेहनताना नहीं देना चाह रहा था। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि ऐसे माता-पिता अभिभावक या परिजन को बच्चों की परवरिश या संरक्षक का दायित्व मिलना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बच्चों को शिक्षा से वंचित रखकर उनके बचपन के अधिकारों का हनन कर रहे है। इसके अलावा पिता की नशा करने की प्रवृत्ति के बच्चों को अच्छी आदतें सीख सकेगी। यह बच्चे बचपन क्या होता है, उसकी खुशियों से अनजान है इसका कसूरवार कौन? परिवार या समाज.....।

शायद हम सभी शिक्षित एवं सभ्य कहलाने वाले जन जिनके लिए निजी हित सर्वोपरि होता है। एक बार सम्मानित व्यवसाय से सम्बन्धित महोदय समिति कार्यालय में आये थे। उनकी सोच ने आहत किया, वह कह रहे थे कि ये चाय दुकान पर काम करने वाले छोटू बड़े कमाल की चीज है। अपने आफिस कक्ष से फोन घुमाते ही यह बच्चे फुर्ती से चाय नाश्ता लेकर हाजिर वैसे भी थोड़े पैसों में यह बच्चे बड़ों से ज्यादा काम कर देते है। दूसरी बात उन महानुभाव की थी कि हर घर में गुंडागर्दी करने वाला एक बच्चा जरुर होना चाहिए, आज के जमाने में अपने काम करवाने में उसका नाम ही काफी रहता है, वह किसी बच्चे से मिलने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में आये थे शायद वहा बंद किसी बच्चे की पैरवी के सिलसिले में आये थे। मन दुखी होता है यह सोचकर इन बच्चों की जगह कभी अपने बेटे को या खुद को रखकर देखते तो काश उन्हें समझ आता कि छोटू का दर्द क्या होता है? वह भी स्कूल जाना चाहता है और उनकी तरह कामयाबी चाहता है। वही दूसरी ओर बच्चों को अपराध के दलदल में देखकर दुखी होने के बजाय ऐसा वक्तत्य बोलने पर मेरी उनसे बहस हो गयी कि आप क्यों अपराधी नहीं बनना चाहते थे और दूसरों को इस दिशा में बढ़ने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं, ऐसी सोच अपने बेटे के लिए भी रखते हो तो क्यों उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए लाखों रुपये फीस भरते हो ? उनके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं था, वह वहाँ से चुपचाप चले गये पर समाज की घिनौनी सोच की तस्वीर वहाँ छोड़ गये।

4.

देश में बच्चों का भविष्य बनाने वाली महत्त्वपूर्ण संस्थाओं एवं पदों पर कार्यरत लोग भी बच्चों का शोषण करने का मौका चूकते नहीं है। देख-भाल एवं संरक्षण से जुड़ी संस्थानों, धार्मिक संस्थानों एवं शिक्षण संस्थानों में यदा-कदा घटनाओं के घटित होने के समाचार आते रहते है, उन्हें पढ़ते हैं और कोई भी ठोस कार्यवाही या नीति इन घटनाओं को रोकने के लिए नजर नहीं आती। यह केस एक जनपद की मीडिया के सराहनीय प्रयासों पर आधारित है, जिन्होंने शोषण के विरुद्ध समाचार ही नहीं लिखा बल्कि बच्चों के शोषण के आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करवाने में अग्रणी भूमिका अदा की।

किसी शिक्षण संस्था की प्रबन्ध समिति में सदस्य एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा स्कूल के बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार का मामला कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में आया। किसी समाचार पत्र के सम्पादक महोदय के सम्मुख उस स्कूल के बच्चे ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और सार्वजनिक रूप से उस व्यक्ति के विरुद्ध अपना वक्तव्य देने की इच्छा बतलायी। उधर शिक्षण संस्था में हलचल हुई और उन्होंने प्रबन्धक समिति से उक्त व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखलाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली।

प्रारम्भ में यह सम्पादक महोदय बच्चे की लड़ाई लड़ते रहे लेकिन हार नहीं मानी। उन पर शोषण के आरोपी व्यक्ति की पत्नी ने भी दबाव बनाया लेकिन इस मामले को राज्य बाल आयोग एवं मुख्यमंत्री स्तर तक उठाया। मीडिया के समस्त बन्धुओं ने एक जुट होकर पुलिस एवं प्रशासनिक तंत्र पर कार्यवाही करने का दबाव बनाया, जिससे इस प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। इस बच्चे ही नहीं बल्कि अन्य बच्चों के शोषण का मामला सामने इसी दौरान आया और समाचार में यह भी वर्णित था कि स्कूल के कमरों का ही प्रयोग इस अनुचित कृत्य में किया गया। उधर प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा पीड़ित लड़के के परिजनों को आर्थिक प्रलोभन देने का प्रयास भी किया गया।

यह स्कूल एक अच्छे संस्कार देने वाली शिक्षा संस्थान में गिना जाता था। वहाँ पर इतने घिनौने कृत्यों के घटित होने की बात समाचार में आना अनेक प्रश्न उठा गया है कि ऐसी घटनाओं के बाद हमेशा बच्चा हो या बड़ा उसका व्यवहार प्रभावित

होता है, आश्चर्य है कि शिक्षकों एवं अभिभावकों को अगर पता नहीं चला तो वह शिक्षक एवं अभिभावक के अपने दायित्व को सजगता से निभा रहे थे, वास्तव में बच्चों को सही मार्गदर्शन ये लोग भविष्य में भी दे सकेंगे क्या?

प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में यह शिक्षक एवं अभिभावक मौन थे तब भी वह अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से वहन कर रहे थे क्या? अकसर अभिभावक या अन्य जन लम्बी कानूनी प्रक्रिया और उस दौरान होने वाली आर्थिक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कठिनाईयों के कारण तमाम जद्दोजहद के बचने के लिए चुप्पी साध लेते हैं और बच्चे को भी ऐसी घटनाओं का जिक्र किसी से ना करने के लिए कहते है। पर वह यह भूल जाते हैं मनुष्य एक छोटी सी कड़वी बात को सालों तक नहीं भूलता तो बाल मन पर लगा यह आघात उसको तमाम उम्र यह आभास कराता रहेगा कि उसकी पीड़ा में उसके अपने भी उसका सहारा नहीं बने साथ ही पर यह शिक्षा भी ग्रहण करेगा कि समाज में शोषण करने वालों से सब डरते है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो मेरे गलत काम करने पर यह समाज मेरा ही क्या नुकसान कर सकेगा? वह समाज से घृणा करने लगेगा और कभी-कभी अपने जीवन को संकट में डालने यानि पीड़ित बच्चों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएँ सामने आती है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे तो यह बच्चे अनेक प्रकार के फोबिया से ग्रस्त हो जाते है। उनका व्यक्तित्व छिन्न-भिन्न हो जाता है। भावात्मक समायोजन बिगड़ जाता है, रात को सोते समय भी भयग्रस्त होकर सोते-सोते अचानक डर जाते है, उठ जाते है या नींद में बड़बड़ाते रहते है। उन्हें लगता है कि उनके साथ न जाने क्या हो रहा है, वो जीवन में सफल कैसे होंगे । बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई की जरुरत होती है। लेकिन ऐसी घटनाओं से उनका आगामी जीवन कष्टकारी ना बने, उसके लिए मनोवैज्ञानिकों परामर्शदाताओं और कभी-कभी मनोचिकित्सकों की जरुरत ऐसे बच्चों के लिए होती है जिससे उनका जीवन पुनः खुशहाल बन सके पर आज भी हमारे देश में इन सेवाओं की उपलब्धता बच्चों को नहीं हो पायी है। सभी से अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं के बाद बच्चों का सहारा बने उनके आत्मविश्वास को टूटने से बचाये और जीवन में नई शुरुआत की दिशा में उन्हें प्रेरित करें।

5.

वह ग्यारह वर्षीय बालक था, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी पीठ में कुबड़ निकला हुआ था। गदर फिल्म का गाना बहुत खूबसूरती से गाता था। उसकी आवाज सुनकर लगता कि उसे संगीत में प्रशिक्षण मिल जाता तो वह अच्छा गायक बन सकता है। राजकीय सम्प्रेक्षण ग्रह में वह कुछ महीनों से रह रहा था, गरीबी की लाचारी में उसने किसी की जेब काटने का प्रयास किया और वह पकड़ा गया। उसमें आक्रोश की भावना इतनी ज्यादा थी, वह अपने से बड़े बच्चों से भी गुस्सा करता रहता। संस्था में कला मनोचिकित्सा पद्वति एवं परामर्श का एक निजी धन से प्रोजेक्ट विभागीय सहयोग से किया। इसके तहत बच्चे का ध्यान एवं ऊर्जा कला की ओर मोड़ दी गयी तो उसके व्यवहार में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिला।

इस बच्चे के पिता की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। घर पर परिवार के सदस्यों के नाम पर पिता थे, केस की पैरवी के लिए धन जुटाने में उनको समस्या आ रही थी, इसलिए मुश्किल हालत में उन्होंने बच्चे से मिलने आना बंद कर दिया। पैनल के अधिवक्ता द्वारा केस की पैरवी संस्था एवं विभाग द्वारा करवायी गयी। इसी दौरान बच्चों की चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस बच्चे के चित्रों में रंग करने के तरीके को देखकर कला विभाग के सेनानिवृत प्रोफेसर ने रवीन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा बनाये चित्रों की झलक बतायी। इस प्रदर्शनी के पश्चात तत्कालीन जिला जज द्वारा इस बच्चे को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

सभी के समन्वित प्रयासों से इस बच्चे का संस्था से निकलना तय हो गया था। किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर संस्था से मुक्त होते समय उसके पिता उस बच्चे को लेने आये तो बच्चे का ध्यान ना रखने पर स्टाफ के किसी सदस्य ने उनसे वार्ता की वह कहने लगे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वास्तव में तबियत उनकी खराब लग रही थी, खांसी के साथ मुँह से खून आ गया। उनको टी.बी. की बीमारी लग गयी थी, कुछ महीने से उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था।

पिता को लेने आया देखते ही बच्चे का चेहरा खुशी से दमकने लगा। जोशीली सी आवाज में एक गीत स्टाफ को सुनाया, सबके पैर छुए और कान पर हाथ

रखकर बोला अब चोरी कभी नहीं करूँगा। यहाँ से बाहर निकलकर गोलगप्पे का ठेला लगाऊँगा। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर सब हँस पड़े तभी स्टाफ में मजाक में किसी ने कहा बेटा गोलगप्पे बेचने के लिए तो तुम्हें ठेले के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा वरना तुम किसी को दिखायी नहीं पढ़ोगे। उसको ड्रांइग बनाने के सामान देकर विदाई की, उसमें बाद सम्पर्क या सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया पर कुछ पता नहीं चला आजकल कहाँ है?

इस बच्चे को लेकर मन में कसक बनी रहती है कि अजीब हालात है, बालश्रम करके या चोरी करके ये बच्चे अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करते है जबकि शादी-विवाह, भण्डारे और विभिन्न प्रकार की विद्वजनों की इनके जीवन को सुधारने सम्बन्धी सेमिनार गोष्ठियों में खाने, सत्कार, यात्रा भत्ता, प्रतीक चिन्ह इत्यादि पर देश में लाखों रूपया बहा दिया जाता है, फिर भी ऐसे बच्चों की दयनीय हालात में सुधारने के प्रमाणों का ढिंढोरा सामाजिक मीडिया पर बहुत लोग पीटते नजर आते है आखिर कब तक ?

6.

'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' अहमदाबाद मई 25-2016 को एक समाचार प्रकाशित हुआ कि वहाँ एक महिला मजदूर ने फुटपाथ पर एक बच्चे को जन्म दिया, वह बच्चा जन्म लेते ही सड़क पर गिर गया और मर गया। विडम्बना यह थी उस फुटपाथ के सामने सरकार द्वारा संचालित अस्पताल था। उस अस्पताल ने अपने यहाँ सुविधाओं का अभाव कहते हुए उस महिला को दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा। इस घटना का सोचनीय पहलू यह है कि अस्पताल जो सरकारी सहयोग या सरकार द्वारा संचालित है उसमें इलाज के लिए आने वाला तबका अधिकतर गरीब परिवारों से है। उस महिला की हालत देखकर कम से कम एन्बुलेन्स द्वारा अन्य अस्पताल की सुविधा तो उपलब्ध करायी जा सकती है। इस बच्चे की मृत्यु हुई या हत्या यह प्रश्न उत्पन्न होता है।

भारत जो अंतरिक्ष एवं डिजिटल तकनीक में अपनी पहिचान स्थापित कर चुका है। परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों में समूह में अपने को शामिल रखने के लिए आतुर रहता है। वहीं उस देश में बच्चों के जन्मपूर्व से लेकर जन्म के आरम्भिक वर्षों में बच्चों की स्थिति का अवलोकन करें तो स्थिति चिन्ताजनक है। हमारे यहाँ नवजात बच्चे को जन्म के अधिकार यानी जीने का अधिकार ही नहीं मिल पाता।

इस बच्चे जैसे अनेक बच्चे मृत्यु के मुँह में सुविधाओं के अभाव एवं सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण समा जाते हैं।

ग्लोबल स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है वही नवजात शिशु के जीने के अधिकार से उसे वंचित कर देते हैं। पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग में यहाँ बच्चों की मृत्यु की संख्या बहुत ज्यादा है। बच्चे जो किसी देश का भविष्य होते हैं, वह कुपोषण का शिकार है, उनकी आयु के अनुसार वजन एवं लम्बाई यानि विकास की स्थिति असंतोषजनक है। वह देश में जिसके जनसांख्यिकीय विश्लेषण पर दृष्टि डालें, भारत आने वाले समय में युवाओं की संख्या यानि कि युवा मानव संसाधन से सम्पन्न देश होगा पर यह भावी युवा जिसकी समुचित देखरेख नहीं हो पा रही है, वह स्वंय अभावों के ग्रस्त है तो देश के विकास में

योगदान कैसे दे सकेंगा?

दैनिक भास्कर 14 fnlEcj 2015 में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ जिसमें जयपुर के स्कूली बच्चों को शामिल किया गया। इसमें बच्चों में एनीमिया, शुगर, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रस्त बच्चे पाये गये। निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यानि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है वहाँ 74 प्रतिशत से अधिक बच्चों में उच्च कोलस्ट्राल एंव एनीमिया 34-5 प्रतिशत का आना यह बताता कि बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति हमारे समाज में जागरुकता का अभाव है। बच्चों के स्वास्थ्य की इस दुखद स्थिति का कारण उनकी आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति उनके जन्मपूर्व यानि गर्भावस्था से लेकर वयस्क होने तक उपेक्षित दृष्टिकोण है। अतः आज बच्चों के जीवन को सुन्दर बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

7.

एक पाँच वर्ष बालिका जनपद के थाना क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने प्रस्तुत की, वह उसे घूमती हुई मिली। वह डर के मारे ना के बराबर बोल रही थी। सम्बन्धित थाना क्षेत्र ने सम्पर्क किया और उस बच्ची को लेकर समिति कार्यालय में लेकर आ गये। बाल कल्याण समिति का बैठक दिवस नहीं था, अन्य सदस्यगण से सम्पर्क नहीं हो सका, वहा शहर के बाहर निवास करते थे तथा अल्प सूचना पर अपने निवास से आना सम्भव नहीं था फिर भी अधिनियम प्रावधानों के अनुरूप किसी एक सदस्य के सामने यह बच्ची प्रस्तुत की जा सकती थी। व्यक्तिगत कार्य से पास के जनपद में गयी थी पर इस बच्ची की सूचना मिलने पर तुरन्त अपने जनपद में आकर विभागीय सहयोग से इस केस में कार्यवाही की गयी।

समिति कार्यालय पर पुलिस उपनिरीक्षक बाल कल्याण अधिकारी के साथ 10&15 व्यक्ति ओर आ गये। यह बच्ची भयग्रस्त थी। बाल संरक्षण इकाई के द्वारा भी इस बच्ची को सामान्य करने का प्रयास किया गया । वह आदमी साथ आये व्यक्तियों के प्रमुख लगने वाले व्यक्ति को बच्ची देने की सिफारिश करने लगा। वह प्रमुख व्यक्ति कहने लगा कि वृन्दावन में उसकी बहुत बड़ी एन०जी०ओ० है, बच्ची उन्हें सौंप दें उसकी देखभाल बढ़िया तरीके से करेंगे।

किशोर न्याय अधिनियम प्रावधानों का हवाला देते हुए और बच्ची के हित को प्राथमिकता देते हुए उनको विनम्रतापूर्वक मना कर दिया कि बच्ची की कस्टडी उनकों नहीं दी जा सकती है। इसके बाद वह महानुभाव दबाव बनाने के लिए कहने लगे कि जिलाधिकारी महोदय से उनके अच्छे संबंध है और अपने राजनैतिक प्रशासनिक सम्बन्धों का हवाला देते हुए बोले मैं अभी जिलाधिकारी महोदय को फोन करता हूँ। मैंने उनको समझाया यह व्यवस्थाएँ अधिनियमानुसार है फिर भी आप चाहे फोन करके संतुष्टि कर सकते है। उस व्यक्ति ने डी०एम० महोदय को फोन लगाया जो कि बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के थे उनके कार्यकाल में समिति को कार्य करने में सदैव सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने स्पष्ट मना किया कि यह न्यायिक प्रक्रिया

है, इसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं था जबकि उसको कहा कि अगर आपकी मंशा समाज सेवा करने की है तो कम से कम न्यायिक प्रावधानों का सम्मान करें। किशोर न्याय अधिनियम प्रावधान 2000 व नियमावली 2007 में यह व्यवस्था अच्छी थी कि बाल हित से जुड़े मुद्दों पर वह प्रशासनिक एवं राजनैतिक दबाव से मुक्त होकर समिति कार्य कर सकती थी और अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ प्रशासनिक तंत्र को रहता था, वह भी चाहते थे बच्चों का हित किसी दबाव से प्रभावित ना हो जबकि उनके ऊपर अन्य कार्यों का दायित्व पूर्व में ही अधिक है। इस बच्ची की सूचना समाचार पत्र में छपवा दी गयी जिससे उसके परिजनों का पता चल सके। अगले ही दिन पास के जनपद के प्रमुख थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष का फोन आया कि इस बच्ची के गुमशुदा होने की खबर उनके थाने में दर्ज है। वह इस बच्ची के बाप को अच्छे से जानते है। कल वह अपने थाने के बाल कल्याण अधिकारी के साथ उसके पिता को भेज रहे हैं। इसकी माँ की मृत्यु छः माह पूर्व हो गयी थी। यह किसी दूसरे प्रदेश से अपने रिश्तेदार के यहाँ आये पर स्टेशन से बच्ची को कोई ले गया। उसका स्कैच पिता से मिली जानकारी के आधार पर बनवाया, वह भी भिजवा देता हूँ जिससे आपके जनपद में भी पुलिस को अपनी तहकीकात में मदद मिल सकेगी। अगले दिन जिस जनपद के थाना क्षेत्र में यह बच्ची खोयी थी, उस थाना क्षेत्र के बालकल्याण अधिकारी और पास के जनपद के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पिता बेटी को सलामत देखकर खुशी से रोने लगा और बच्ची भी अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। पिता ने बताया कि स्टेशन पर भीड़भाड़ में एक आदमी लगातार उनके साथ चल रहा था, उसने पूछा भी था, शहर में नये आये लग रहे हो। एक ट्रेन और आ गयी प्लेटफार्म पर, उसकी भीड़ में वह बच्ची का हाथ उनके हाथ से छुड़ा कर ले गया। वह स्टेशन के बाहर खड़ा रो रहा था कि अपनी बच्ची को खोजे जैसे तभी इस इंस्पेक्टर साहिब स्टेशन पर किसी को छोड़ने आये थे, उसे कहा कि तुम थाने के आसपास रहो जिससे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। उन्होंने थाने के पास मजदूरी का काम दिलवा दिया और अखबार में फोटो देखकर मुझे बुलाया कि तुम्हारी बच्ची जल्दी ही तुम्हें मिल जायेगी। अकसर पुलिस अधिकारियों के व्यवहार की हम आलोचना करते हैं लेकिन उनमें भी इंसानियत होती है, इस केस ने ही नहीं और कई केसों में दोनों पहलुओं को नजदीक से देखने का सुअवसर मिला। इस समय पिता पुत्री के मिलने पर भावविभोर होकर धन्यवाद सभी का अदा कर रहा था। थाने में बच्ची का अपहरण करने वाले व्यक्ति का स्कैच देखा तो बच्ची को प्रस्तुत करने वाला थाना

कर्मचारी एंव स्वयं मैं भी आश्चर्यचकित रह गयी कि जिस व्यक्ति ने थाने में बच्ची प्रस्तुत की और जो उस एन०जी०ओ० को देने की सिफारिश कर रहा था, उस व्यक्ति से मिलता लगा रहा था। इस केस में पुलिस ने आगे अपनी कार्यवाही करने का निर्णय किया लेकिन हमारे लिए खुशी की बात थी कि एक मासूम को उसकी दुनिया उसका परिवार मिल गया। परिवार से बिछड़ कर सिसकने वाले बच्चों के बचपन को बचाने के लिए सभी जन से अपील है कि गुमशुदा बच्चों की खोज में सहयोग दें और संदिग्ध हालात में बच्चों के साथ बड़ों को देखकर चाइल्ड लाईन नम्बर 1098 पर अवश्य सूचना देना चाहे। आपका यह प्रयास बचपन को भटकने से बचा सकता है।

8.

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चे को स्कूल में दाखिला निजी स्कूल में ना मिलने पर वह महिला अपने राज्य के बाल आयोग में शिकायत पर कार्यवाही के सम्बन्ध में आयी थी। वह आशावान थी कि उसके बेटे को दाखिला मिल जायेगा, वहाँ पर में भी आयोग सदस्य से मुलाकात करने गयी थी। आयोग ऐसे बच्चो के लिए पूरा प्रयास करता है और बच्चों को उनका अधिकार मिल रहा है, ऐसा सदस्य महोदय का मानना था। इस घटना के कुछ माह बाद एक पब्लिक स्कूल के प्राचार्य कक्ष में एक महिला को अपनी बेटी के लिए दाखिले का प्रयास इस अधिनियम प्रावधानों का हवाला देते हुए देखा, वह बहस कर रही थी।

इस अधिनियम के अन्तर्गत यह देखने में आया कि कोई भी निजी स्कूल सरलता से ऐसे बच्चों को अपने यहाँ दाखिल करने के लिए तैयार नहीं होते जिनकी माली हालत ठीक ना हो। प्रायः यह घटित होता रहता है। वह विद्यालय जहाँ कि शिक्षण व्यवस्था उस बच्चे को अपनाने को ही तैयार नहीं है क्या वहाँ बच्चे को सर्वांगीर्ण विकास का समुचित अवसर मिल सकेगा? बच्चों को उस स्कूल के वातावरण के अनुरूप ढालने के लिए स्कूल स्तर पर हमारे देश में अच्छे निजी स्कूलों में भी परामर्श सेवाएँ मौजूद नहीं है।

सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, राज्य क्षेत्रानुसार अलग-अलग पाठयक्रम संचालित है। सम्पूर्ण देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था क्या नहीं करना चाहते हैं। बच्चों के बीच दीवार खड़ी करके कौन सी शिक्षा हम दें रहे हैं? शिक्षा का यह व्यवसायीकरण बच्चों का क्या वास्तव में भला कर रहा है? शिक्षा की यह असमानता क्या बाल मन में कुंठा को जन्म नहीं देंगी? वह भी दूसरे बच्चों जैसे स्कूल में जाने को सपना देखता होगा और कभी-कभी इसको पूरा ना होने की उम्मीद ये शिक्षा से उसका मन हटने लगता है।

वही निजी स्कूलों में ही साल बढ़ती फीस एवं किताबों की कीमतें यूनिफार्म

इत्यादि का दबाव बच्चों पर भी पड़ता है। एक बार एक पब्लिक स्कूल के ओपन हाउस में बैठी थी। बच्चों के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट अभिभावकों का गुस्सा अपने बच्चों पर निकल रहा था। एक महानुभाव को अपने बेटे के परीक्षा परिणाम से उसमें अंक कम देखकर हताशा इतनी ज्यादा थी कि वह सबके समक्ष बच्चे पर गुस्सा करने लगे "तुम पर इतना खर्चा करता हूँ, इतने मँहगे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ पर इसका फायदा क्या?"

माता-पिता सामाजिक प्रतिष्ठा के लालच में निजी मँहगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते है पर बच्चे की क्षमताओं एवं रूचि के अनुसार मूल्यांकन कर उसके जीवन को सही दिशा देने के बजाय अपने बच्चे के ही जीवन से खिलवाड़ कर बैठते हैं देश में एक जैसी शिक्षा पद्वति लागू करने से संकोच कब तक करते रहेंगे।

कुछ माह पूर्व विद्यार्थियों की आत्महत्याएं जिम्मेदार कौन? सरिता पत्रिका में आसरा भारत भूषण द्वारा लिखित लेख प्रकाशित हुआ उसमें अभिभावकों एवं स्कूल दोनों का दबाव बच्चों की आत्महत्या करने सम्बधी केस वर्णित के अकसर यह निजी स्कूल पहले प्रवेश परीक्षा लेकर छात्रों को अपने यहाँ दाखिला देते है, उसके अंक कम आने पर स्कूल से निकालने की धमकी देते है और उधर माता-पिता भी बच्चों पर अपनी आशाओं का बोझ लाद देते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि यह निजी स्कूल अगर बेहतर है तो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की आत्महत्या की संस्खा क्यों बढ़ रही है? उन स्कूलों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही क्यों नहीं हो पाती? स्कूल में प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश तब दिया गया जब वह बच्चा योग्य निकला लेकिन अगर स्कूल में उसके अंक कम आये या उसका व्यवहार प्रभावित हुआ तो इसका दोषी स्कूल वातावरण एवं शिक्षण तंत्र नहीं हुआ क्या?

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं में होम या बोर्ड परीक्षा का विकल्प बच्चों के तनाव को कम करने के लिए शुरू किया। स्कूल का रिजल्ट अच्छा करने के लिए धीरे-धीरे स्कूलों ने होम परीक्षा अपने स्कूल में सभी छात्रों के लिए लागू कर दी। टयूशन पढ़ना बच्चों के लिए अब जरूरी हो गया क्योंकि सम्बन्धित विषय के शिक्षकों के हाथ में छात्रों के अंकों की कुंजी है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि ग्रेडिग प्रणाली के स्थान पर बोर्ड परीक्षा भी तब 90 प्रतिशत से अधिक अंक एक स्कूल में एक दो बच्चों के आते थे पर आज समाचार पत्रों में परीक्षा परिणाम देखकर लगता है कि जैसे प्रत्येक स्कूलों में जीनियस बच्चों की संख्या बढ़ रही है। यही छात्र बारहवी में आते-आते उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो परिजनों को हताशा भी होती है। आज कल एक परम्परा ओर चल पड़ी है कि अभिभावक सामाजिक

मीडिया पर बच्चों की उपलब्धि पर खुशी मनाते है, यह अच्छा परन्तु हद तब हो जाती है जब कुछ अपने बच्चे का पूर रिपोर्ट कोर्ड फेसबुक पर डाल देते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चे पर भविष्य के लिए दबाव बढ़ जाता है वहीं उसके मित्रगण एवं रिश्तेदार भी अपनें बच्चों को उस बच्चे जैसा रिजल्ट लाने का दबाव बनाना शुरू कर देता है। सफलता पर खुश होना, प्रोत्साहन देना चाहिए पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लालच में बच्चों पर दबाव बनाना उनके मानसिक विकास एवं सीखने के दृष्टिकोण से अनुचित होगा। ''भोपाल में जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक 24 से अधिक आत्महत्या होने पर वहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह तक ने बच्चों पर दबाव बनाने वाले अभिभावकों के विरूद्ध कार्यवाही की बात कही।'' वास्तव में आज भी शिक्षा नीति, शिक्षण तंत्र एवं अभिभावकों की सोच में सुधार की मांग इन भविष्य के कर्णधारों के उज्ज्वल जीवन के लिए है।

9.

एक बुजुर्ग स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी बुढ़ापे की संतान दो लड़के थे। छोटा लड़का लगभग 11 वर्ष का रेलवे पुलिस को मिला। यह बच्चा अपने जनपद से दूर था। उस जिले की बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड लाईन की मदद से बच्चे को अन्यत्र जिस जिले में बालगृह था, वहाँ सुरक्षित स्थान पर प्रवेशित करवाया गया। इस बच्चे के गृह जनपद की समिति को समस्त सूचनाएं प्रेषित की गयी जिससे इस बच्चे के परिवार को खोजा जा सके।

बच्चे के द्वारा बताये गये घर के पते पर सम्पर्क साधा गया तो पता चला कि उनकी माँ वहाँ नहीं रह रही थी। इस बच्चे की मिलने की सूचना पर उसका वयस्क चचेरा भाई भी सपत्निक समिति कार्यालय आ गया। वह बच्चे की कस्टडी देने की जिद कर रहा था और कह रहा था कि उसके बड़े भाई की देखभाल भी वो और उसकी पत्नी कर रही है। बच्चों की माँ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता और वह घर छोड़कर चली गयी है, मालूम नहीं कहाँ पर है? समिति ने बालक उनको सौंपने से स्पष्ट मना कर दिया और उसकी माँ को खोजने का प्रयास जारी रखा।

बच्चे की माँ विभाग से निराश्रित (विधवा) महिला पेंशन ले रही थी। उस बच्चे को विभागीय एक अधिकारी ने उसकी माँ के साथ देखा था, अतः बच्चे की माँ का पता चल गया कि वह पास के कस्बे में प्रतिष्ठित राजनैतिक व्यक्ति के यहाँ सफाई का काम कर रही है। उन व्यक्ति से सम्पर्क किया, उन्होंने बतलाया कि इस बच्चे के चचेरे भाई और उसकी पत्नी का व्यवहार बच्चों और इस महिला के साथ बहुत खराब था। यह बच्चा उस चचेरे भाई की पत्नी के व्यवहार से तंग आकर घर से भागा। माँ को बुलाकर बच्चे को सौंपा तो वह रोने लगी कि इसका बड़ा भाई का भी शोषण वह चचेरा भाई कर रहा है, अपनी दुकान पर काम करवाता है। मेरे से भी मारपीट करके घर से निकाल दिया जबकि उस मकान में मेरा भी

हिस्सा है। वह रो रही थी, अपने शरीर पर चोट के निशान दिखा रही थी और बड़े लड़के को उसे दिलवाने की प्रार्थना कर रही थी। उधर छोटे लड़के ने बताया कि घर से भागने के बाद गलत लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह उससे ट्रेन के डिब्बों में कचरा साफ करके सवारियों से पैसे माँगने को कहते और उस पर निगरानी रखते, वह रेलवे पुलिस की मदद से छूट पाया है।

समिति एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रयास से महिला को बच्चे मिल गये। इसके अतिरिक्त अपने घर में हिस्सा भी रहने के लिए मिल गया। वह स्त्री दोनों बेटों को पाकर बहुत खुश थी लेकिन उनके भविष्य के सम्बन्ध में चिन्तित थी। उसको अपने स्वास्थ्य की खराब स्थिति को देखकर रोना भी आ रहा था कि कल अगर मुझे कुछ हो जाय तो इन बच्चों का क्या होगा? उसकी विवशता एवं मातृत्व दोनों उस स्त्री के आँखों में झलक रहे थे, काश वह भी अपने बच्चों का जीवन खुशहाल बना पाती।

10.

एक आठ या नौ बरस की बच्ची ट्रेन में भीख माँगती एक सज्जन पुरुष को मिली, उसकी व्यथा जानकर वह व्यथित होकर बच्ची को अपने साथ ले आये। कुछ समय पश्चात उस बच्ची का दाखिला कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय में करवा दिया। यह स्कूल छठी कक्षा से प्रारम्भ होते थे परन्तु बच्ची की परिस्थिति के आधार पर स्कूल स्टाफ ने उसे अपने यहाँ रख लिया। स्कूल की छुट्टियों में यह बच्ची सज्जन पुरुष के घर पर रहती थी। वह और उनकी पत्नी इससे बहुत स्नेह करते लेकिन उनके किशोर बेटे को इस बच्ची से लगाव अच्छा नहीं लग रहा था, वह बच्ची पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, आखिर ऐसी स्थिति में बाल कल्याण समिति के समक्ष लगभग एक वर्ष पश्चात यह केस जिलाधिकारी के द्वारा तब प्रेषित किया गया जब स्कूल एवं सज्जन पुरुष के सामने इस बच्ची की छुट्टियों में रखने की व्यवस्था करना समस्या बन गयी। स्कूल और वह सज्जन बच्ची को अपने से दूर भेजना नहीं चाहते थे, उनको उससे लगाव हो चुका था।

यह बच्ची बहुत ही प्यारी एवं मासूम सी एक दर्द में जी रही थी फिर भी चेहरे पर मुस्काहट रहती थी। यह बच्ची बंगाल की रहने वाली थी, इसके माता-पिता पंजाब आ गये। परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। इस पर पिता शराब पीकर घर में मारपीट करते थे, बच्ची के चेहरे पर खौफ और दर्द दोनों उसकी पीड़ा को व्यक्त करते समय देखे जा सकते थे।

एक दिन पिता नशे में उसकी माँ से झगड़ा और माँ बच्चों को छोड़कर घर से निकल गया, उधर पिता ने कुछ खा लिया और गिर पड़ा। इस बच्ची को लगा कि उसका बाप मर गया और माँ का इंतजार किया पर वह नहीं लौटी। आखिर यह बच्ची अपने साल भर के भाई को साथ में लेकर घर से निकल पड़ी, जो माँ

की याद में लगातार रो रहा था। यह छोटी सी बच्ची स्टेशन पर रहती, भीख माँगती और अपने भाई का भरण पोषण करती साथ ही अपनी माँ को खोजने का प्रयास करती। इसी क्रम में एक दिन भाई को जमीन पर बैठा, स्टेशन पर पानी पीने के लिए नल पर मुँह लगाया तो ऐसा महसूस हुआ कि उसका भाई पीछे नहीं है। उसके भाई को कोई उठाकर स्टेशन से ले जा चुका था। वह माँ की तलाश में निकली पर भाई को भी खो चुकी थी, घर जाने की हिम्मत नहीं बची कि माँ मिल भी गयी तो उनको वह भाई के बारे में क्या जबाव देगी। इस समय भी वह अपने भाई को याद करके रोने लगी और अपने को गुनाहगार ठहरा रही थी कि उसकी गलती से वह भाई से बिछड़ गयी। भीख माँगती ट्रेन में और स्टेशन पर खोजने के प्रयास में लगी रहती, इसी समय उसकी मुलाकात उन सज्जन पुरुष से हुई। आज भी भाई से बिछड़ने के गम में उसकी आँखों से आँसू गिरने लगते हैं।

इस बच्ची ने यह भी बतलाया कि जहाँ से उसके माँ-बाप थे, उस इलाके में उसकी जितनी बच्ची पूरे घर का कामकाज संभाल लेती है और ज्यादातर बच्चिओं का विवाह हो जाता है। यह केस बच्ची के अपने परिवार से बिछड़ने के एक साल बाद आया, उस समय घर से सम्बन्धित जानकारी ज्यादा ना दे सकी, जहाँ उसका ननिहाल था, छोटी बहुत जानकारी थी। यह इलाका बंगाल में था, वहाँ पर सम्पर्क साधा और फोन पर सहयोग करने के लिए कहा तो उनका उत्तर आया अगर संस्था में यहाँ भेजा तो बच्ची की शारीरिक जाँच करवाकर भेजियेगा और अगर उसके साथ कोई घटना घटित हुई तो हमारे यहाँ संस्था में नहीं ली जा सकेगी। उनकी भाषा से यह आभास हुआ कि इन मासूम बच्चिओं के संरक्षण हेतु उत्तरदायी लोग ही अपने दायित्व का वहन नहीं करना चाहते। ये बच्ची बेचारी किससे अपनी सुरक्षा की गुहार लगायेगी, आखिर तमाम हालातों पर चर्चा करने के पश्चात इस बच्ची की पढ़ाई में बाधा ना आये, उसकी शिक्षा उसी आवासीय विद्यालय में जारी रखी। बच्ची पढ़ने में अच्छी थी, यद्यपि बच्ची को स्टेशन पर रहने एवं भटकने के दौरान एक बुरी आदत ओरों का सामान बिना पूंछे उठाकर अपने बैग में रखने की पड़ गयी लेकिन स्कूल में कुछ स्टाफ टीचर एवं स्कूल वार्डन के स्नेह से उसकी आदतों में सुधार आने लगा। समिति का स्कूल स्टाफ से इस बच्ची पर निरन्तर सम्पर्क बना रहा, कभी-कभी सदस्य इससे मिलने भी जाते, बच्ची बहुत खुश रहने लगी थी।

अचानक एक दिन स्कूल से फोन आया कि वह बच्ची कह रही है कि स्कूल की छत से कूदकर वह आत्महत्या कर लेंगी, तुरंत स्कूल पहुँचे। वहाँ जाते ही

महसूस हुआ कि जिसके माता-पिता का साया बच्चों के साथ नहीं होता, उन बच्चों की भावनाओं की कद्र कोई भी नहीं करता। स्कूल का स्टाफ उसे मुसीबत समझकर स्कूल से निकालने को तैयार बैठा था, स्टाफ ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया जैसे दुनिया भर के दोष इस बच्ची में है। बच्ची की शिकायत की कि कुछ दिन पहले स्कूल के बच्चों को घुमाने ले गये, इसने उस दिन ठेले पर से एक अमरूद उठा लिया आज किसी दूसरे बच्चे का सामान अपने बैग में रखा है, दूसरे बच्चों की शिकायत पर इसको डांटा फटकारा था।

बच्ची को प्यार से बुलाया और उससे बातचीत की तो वह फफक-फफक कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ सुनी जा सकती थी। उसको सामान्य करने का प्रयास किया फिर भी वह रोते हुए बोली कि मेरा अमरूद खाने का मन किया तो और बच्चों के साथ मैंने उठा लिया। मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वार्डन मैडम ने समझाया कि ऐसा करना गलत है तो आगे से ऐसा नहीं करूँगी यह सोचा। मेरे सामान की तलाशी सबने ली पर कुछ नहीं मिला। कुछ बच्चे जानबूझकर मेरे साथ शरारत करते है पर यहाँ कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा है, मेरी जीने की इच्छा नहीं करती। अपने टीचर्स के लिए बोली 'इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं भी इनको बहुत चाहती हूँ इसलिए जब इन्होंने मुझ पर शक किया तो मेरा मन दुखी हो गया।

स्कूल के स्टाफ के कुछ लोग छिपकर सुन रहे थे कि बच्ची क्या बता रही है? बच्ची की बातों से उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ कि बच्ची उन लोगों से बहुत ज्यादा लगाव रखती है। अन्य बच्चों के साथ इसकी बात पर भी ध्यान देना चाहिए था। उस सत्र को पूरा करवाकर विभागीय सहयोग से उसका दाखिला विभागीय आवासीय विद्यालय में हो गया जहाँ से बारहवीं तक की शिक्षा ग्रहण कर सकती है। पुराने स्कूल के शिक्षक एवं वार्डन उससे मिलने जाते रहे और उधर उस सज्जन पुरुष ने इस बच्ची के नाम डाकखाने में मासिक बचत योजना के अन्तर्गत खाता खुलवा रखा है। उसके परिवार विशेषकर भाई की मिलने की आस आज भी उसके मन में है, ईश्वर से प्रार्थना है इस बच्ची को उसका भाई मिल सके।

11.

यह पन्द्रह वर्षीय किशोर स्वभाव से मस्त था। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में उसके साथ सभी खुश रहते। वह हरफनमौला व्यक्तित्व रखता था। गोविन्दा के गानों पर डांस करता, बांसुरी बजाना पसंद था, उसके लिए मैंने पास के जनपद से बांसुरी मँगवायी जिसे वह संस्था के कार्यक्रम में बजाया करता था। वह दूसरे प्रदेश का रहने वाला था, मूड में होता तो प्रदेश के लोकगीत सुनाता, उसके लोकगीत सुनने की फरमाइश बच्चों की संस्था के हरेक कार्यक्रम में रहती। हम लोग उसे कर्नल कहते, वह आर्मी वालों की भाँति सबको सॅल्युट करता था। इस बच्चे को देखकर किसी को भी नहीं लग सकता था कि उसने अपने चाचा का कत्ल बहुत बेरहमी से किया होगा। वह हर बच्चे की मद्द के लिए तैयार रहता था।

यह बच्चा इस जनपद में अपने प्रदेश परिवार से दूर चाचा के साथ काम करने के लिए आया था। चाचा मारपीट और उसका शोषण करता, उसको वापिस घर लौटने नहीं देता, एक दिन इसी क्रम के पास में रखी दराती से चाचा का कत्ल कर दिया।

वह संस्था में रहकर पढ़ना लिखना सीख गया। यह किशोर कैरम बोर्ड में इतना दक्ष छः महीने में हो गया कि अन्य सभी बच्चों को बहुत आसानी से कम समय में हरा देता था। लगभग ढ़ाई बरस वह संस्था में रहा। इतने समय में कोई भी उससे मिलने नहीं आया। विभाग लगातार उसके परिवार की खोज करता रहा। यह किशोर किस हाल में है, कहाँ पर है? उसके परिजनों को भी नहीं पता था।

एक दिन अचानक संस्था में वह व्यक्ति किसी काम से आया जिसने उसके चाचा को काम दिलवाया था। उसने किशोर को वहाँ देखकर पहचान लिया और बताया कि उसके चाचा ने गाँव के किसी व्यक्ति का फोन नम्बर उसे दिया था, वह दोबारा आया और फोन ढूंढकर विभाग के कर्मचारियों को दे गया। उससे नम्बर लेकर फोन पर मैंने भी सम्पर्क का प्रयास किया तो पता चला कि पूरा परिवार गेहूँ

काटने के लिए किसी ओर जगह गया हुआ है, जब वापिस आयेगे तब उनको बता देंगे अभी परिवार कहाँ गया, यह मालूम नहीं है।

उसके केस की पैरवी के लिए विभाग एवं स्टाफ निरंतर प्रयास करता रहा पर ढ़ाई साल तक कोई निर्णय नहीं हुआ, अपने बाद आये बच्चों को बाहर निकलता जमानत पर छुटता देखकर इसमें हताशा और अपनी गरीबी पर रोना आना शुरू हो गया। लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात यह अपनी चिड़चिड़ाहट व्यवहार में प्रकट करने लगा। संस्था में कोई भी निरीक्षण के लिए आया सबसे कहता वह यहाँ से भाग जायेगा या आत्महत्या कर लेंगा। ऐसी स्थिति में शेष लगभग छः माह के लिए विशेष गृह भेजने का आदेश आया।

इसी दौरान एक दिन इस किशोर से बातचीत हुई तो कहने लगा जब से यह लगा कि घर पर मेरे बारे में सूचना पहुँच गयी है। मन तड़पता है अपनी उस प्यारी सी गुड़िया छोटी बहिन से मिलने के लिए चार साल की थी जब मैं घर से निकला था। घर के लोग किस हाल में होंगे मालूम नहीं। दीदी प्लीज मुझे मेरी बहिन से मिलवा दीजिये।

यह व्यथा इस किशोर जैसे ना जाने कितने बच्चों की है जिनका बचपन परिवार की जरुरतों की भेंट चढ़ जाता है। रोजी-रोटी की तलाश में अपनों से बिछड़ जाता है। परिवार का सहारा बनने के लिए खुद शोषण का सामना करता है और उस दर्द की अति होने पर उनको भावविहीन करके वह जुर्म की दुनिया में प्रवेश कर जाती है।

यह कहना बहुत ही सरल है कि बच्चों को जघन्य अपराध के लिए सजा मिलनी चाहिए परन्तु इन बच्चों को जुर्म के लिए मजबूर करने वाले समाज एवं व्यवस्थाओं को कभी सजा मिली? जन्म लेते ही इस बच्चे ने जुर्म करना शुरू कर दिया? क्या हम सभी ने इनके जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास किया? ना जाने कितने लोग कर चोरी करते है पर जानते नहीं उनके दिए कर से ऐसे परिवारों के लिए बेहतर योजनाएं चलायी जा सकती है। जब तक गरीबी में बचपन सिसकता रहेगा तब तक स्वास्थ समाज की कल्पना सदैव निरर्थक रहेगी। सभी से अपील है कि देश के इन भावी युवाओं को अंधेरी कोठरी से निकालने के लिए सार्थक पहल करना चाहे।

12.

कुछ माह पूर्व समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को फेसबुक पर शेयर पोस्ट में पढ़ा कि एक बारह वर्षीय बच्ची के साथ रेप की घटना हुई। वह बच्ची कुछ ही दिनों में एक बच्चे को जन्म देने वाली है। उस बच्ची को परिजनों के अलावा अन्य लोगों से मिलने की इजाजत नहीं थी। वह समझ नहीं पा रही थी क्या बिना गुनाह के उसे कैदियों की जीवन जीना पड़ रहा है? वह परिजनों से प्रश्न पूछती कब स्कूल जा सकेंगी? कब वह अपनी सहेलियों के साथ खेल सकेंगी ? परिजन भी इस असहनीय पीड़ा का सामना बहुत दर्द से कर रहे थे।

इस बालिका के साथ घटित घटना का पता जब परिजन को चला तब तक इतना समय गुजर गया कि गर्भपात करवाना बालिका की ज़िन्दगी के लिए सुरक्षित नहीं था, चिकित्सकों ने गर्भपात से मना कर दिया। रेप की यह घटना इस बच्ची के साथ तब घटी जब वह अपनी माँ के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ पर धार्मिक आयोजन में भाग लेने गयी थी। वहाँ पर शौचालय का प्रबन्ध नहीं था। वह टैन्ट के पीछे खुले में पेशाब के लिए गयी तब उसी गाँव के प्रभावशाली परिवार के किशोर ने इस घटना को अंजाम दिया। बच्ची ने डर के मारे घर में किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बतलाया और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

यह बच्ची अपने परिवार के साथ अपने दुर्भाग्य का सामाना कर रही थी पर देश में आज भी ऐसी घटना घटने के बाद बालिका को दोषी मानकर परिवार वाले उनको घर में आश्रय नहीं देते अपने से दूर कर देते है। कुछ समय भोपाल की एक संस्था में तीन नाबालिग बच्चिओं के स्कूल जाने की उम्र में बच्चों को जन्म देने का समाचार पढ़ा। आखिर कब तक इन बेकसूर बच्चिओं के जीवन में सिसकने देने की परम्परा हमारे समाज में कायम रहेंगी?

हमारी संस्कृति में नारी पूंजनीय वास्तविकता में है? यह प्रश्न इन बच्चिओं की दयनीय स्थिति को देखकर उठता है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती ना जाने कितने महिमा

मंडित करने वाले नाम से शोभित करते है जबकि संकीर्ण एवं बीमार मानसिकता वाले व्यक्तिओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है विशेषकर किशोर बच्चों की ऐसे अपराधों में संलिप्तता का बढ़ना इस विषय पर गम्भीरता से चिन्तन करने की जरुरत पर जोर देता है।

घटना का दोषी वयस्क हो अथवा किशोर उसको कानून के द्वारा दण्डित किये जाने से यह समस्या समाप्त होती नजर नहीं आती। आज जरुरत है कि ऐसे दुष्कर्मों समाज एवं संस्कृति विरोधी व्यवहार के कारणों पर भी ध्यान दिया जाय। कोई भी बच्चा व्यस्क होने के दौरान अपने जीवन में समाजीकरण की प्रक्रिया में अपने परिवार एवं आस पास के वातावरण से सीखता है। इसलिए यह प्रक्रिया सही दिशा में हो, सभी के समन्वित प्रयास की जरुरत है। साथ ही बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा उनके मानसिक विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाय क्योंकि इस तरह की घटनाओं से जुड़े वयस्क एवं किशोर सभी के व्यवहार में छिपी असामान्यता का निदान समय रहते कर लिया जाय तो बहुत से लोगों विशेषकर इन मासूम बच्चों का जीवन बर्बादी से बचाया जा सकता है।

घटना से पीड़ित बच्चों के जीवन की यह त्रासदी उनके लिए मौत से भी भयावह होती है। ऐसी घटनाओं का प्रभाव उनके सम्पूर्ण जीवन व्यवहार को प्रभावित करता है। हमारे समाज की विडम्बना यह है कि पीड़ित और उसके परिजनों की मनोदशा समझकर उनको सहारा देने के स्थान पर अभिभावकों की परवरिश और बच्चें की बेबसी पर दोषारोपण करने से चूकते नहीं है। यह नहीं सोचने का कष्ट करते कि इस प्रकार की मुसीबत या दुर्घटनाएं कोई भी आमंत्रित नहीं करता चाहता। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी से अधिक दण्ड इन बेकसूर मासूमों को झेलना पड़ता है आखिर क्यों?

सभ्य समाज में घटित यह घटनाएँ बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। इनको विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं सामाजिक कठिनाईयों से जूझना पड़ता है। उनकी यह स्थिति ओर भी कष्टकारी हो जाती है जब उनके मन में अपने शोषण करने वालों के विरूद्ध घृणा और आक्रोश होता है लेकिन समाज के ठेकेदार प्रबुद्ध जन, परिजन सभी इन बच्चों को ऐसी घटनाओं को मन की अंधेरी कोठरी में दफन करने की हिदायत देकर अपने कर्तव्य बोध को पूरा कर लेते है। यह बच्चे आजीवन अंधेरी कोठरी में तिस्मिल से निकलने के लिए तड़पते रहते, कोई तो उन्हें बाहर निकाले इस दशा में समाज, सरकार एवं संस्थाओं द्वारा सार्थक पहल किये जाने की आवश्यकता है।

ऐसी घटनाओं के पश्चात अपराधी को दण्ड एवं पीड़ित को आर्थिक सहायता देकर उन बच्चों का जीवन, खुशहाल हो गया, अभी तक हमारे देश में ऐसी मान्यता का निर्वाह किया जा रहा है। इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए परिवार, स्कूल एवं सरकार द्वारा इनको मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाये तथा परिवार परामर्शदाताओं के द्वारा बच्चे का परिवार में समायोजन सही प्रकार से करने में मद्द की जाय, यह परामर्शदाता विशेष प्रकार के पाठयक्रम एवं तकनीक में कम से कम स्नातकोतर स्तर का अनुभव रखने वाले होने चाहिए। इसी प्रकार बच्चों के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान चिकित्सक स्टाफ द्वारा संवेदनशील होकर कार्य वहन किया जाय और पोक्सों अधिनियम में वर्णित मानकों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही में ओर सख्ती लाने की जरुरत है।

13.

एक पाँच वर्ष के लगभग आयु के बच्चे की माँ का देहान्त अस्पताल में हो गया। इस बच्चे की परवरिश करने वाला परिवार में कोई नहीं था। वहाँ की समिति ने उस बच्चे को बाल गृह विभागीय संस्था में देखभाल एवं संरक्षण के लिए भेजने का निर्णय किया। इस बच्चे की स्थानान्तरण की व्यवस्था की जा रही थी। यह बच्चा लड़का था, इसलिए वहाँ के लोग इसको लेने का प्रयास करने लगे और समिति पर दबाव बनाने का प्रयास करने वालों में बच्चों पर काम करने का गुणगान करने वाले समाज सुधारक भी शामिल थे। यह स्थिति और दुखद हो जाती है जब किशोर न्याय व्यवस्थाओं से जुड़े लोग भी दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। आज भी देश में बालाधिकारों के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण बदला नहीं है।

किसी अन्यत्र जनपद में अपने परिचित के यहाँ पर गरीब बच्चों के प्रति आम मानासिकता पर हम लोगों का वार्तालाप चल रहा था। उन परिचित महोदय के जानने वाले जो किसी एन. जी. ओ. से ही जुड़े थे, उन्होंने अपने जनपद की एक वरिष्ठ समाज-सेविका का किस्सा सुनाया कि वह महिला मीडिया को भुनाने और सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभावशाली राजनेताओं के सामने अपने को समाजसेवी दिखलाने और उनको प्रभावित करने के हर अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करती थी।

कुछ साल पहले जिले में नये जिलाधिकारी स्थानान्तरित होकर आये, वह बहुत सुलझे हुए अधिकारियों में से है। यह महिला उनके सामने गरीब परिवारों के कुछ छात्रों को लेकर गयी और बोली कि ''सर, ये मलिन बस्ती में रहते है, इनकी मदद करती हूँ। जिलाधिकारी महोदय ने उन बच्चों से बातचीत की कि स्कूल जाते हो तो यह बच्चे बोले कि वह दसवीं में पढ़ रहे हैं।'' उसके बाद इन भद्र महिला से कहा ''मैडम, ये बच्चे आपकी और हमारी तरह आजाद भारत के नागरिक है। प्लीज इनके रहने के स्थान को मलीन कहकर ना सम्बोधित करें। ये बच्चे कल

देश की बागडोर सम्भालेंगे।''

इस वाकये का यहाँ वर्णन करने का ध्येय यह है कि सामाजिक मीडिया फेसबुक प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया पर अपनी प्रसिद्धि के लोभ में या पुरस्कार पाने के लिए प्रोफाइल बढ़ाने के लालच में समाज में सुधारकों की संख्या बढ़ रही है। बच्चा गरीब है या अमीर या समाज के किसी भी वर्ग से है, अपने स्वार्थ में उसकी पहिचान बिना सहमति लिए उजागर करना उचित है। किसी बच्चे के गरीब होने में दोष किसका है? कुछ कपड़े किताब या फल इत्यादि बाँटते हुए उनकी तस्वीर सार्वजनिक होना उनकी गरीबी की समस्या को दूर करने का प्रयास की बजाय उनकी मजबूरी का अहसास दिलाता है जबकि भारतीय परम्परा में है कि दान या मद्द करते समय हमारे दूसरे हाथ को आभास भी ना हो फिर ऐसा क्यों हो रहा है?

वही समाजसेवा क्षेत्र से जुड़े एवं बालाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले सभी जन से अपील है कि बच्चों के स्वाभिमान एवं निजता पर आघात ना करें तथा बालाधिकार से जुड़े समस्त कानूनों को जानने एवं सम्मान देने का प्रयास करें, यह भी उनकी सच्ची सेवा होंगी।

14.

हमारे देश में आज भी शारीरिक एवं मानसिक अपंगता से ग्रस्त बच्चों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, उनकी उपलब्धि की प्रशंसा करते है पर उनकी उपेक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लगभग सत्तरह अट्ठारह वर्ष पूर्व मनोविज्ञान के प्रोफेसर जो उस समय किसी विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। वह इन बच्चों विशेषकर मानसिक अपंगता वाले बच्चों की उपेक्षा से दुखी होकर बोले कि परिजनों का व्यवहार भी इन बच्चों के प्रति अच्छा नहीं है। मार्च में इनकम टैक्स फाइल करते समय इन बच्चों की याद उनके व्यवसायी अभिभावकों को आ जाती है कि टैक्स में छूट मिल जाय पर जो अभिभावक आर्थिक रूप से इन बच्चों के लिए सुविधाएँ जुटाने में सक्षम है वह यह ध्यान नहीं देते कि इनकी जरुरतें क्या है? इनकी परवरिश कैसे करनी चाहिए? उनको इसके कोई मतलब नहीं रहता।

बाल कल्याण समिति में कार्य करते समय यह भी देखने में आया कि परिजन ऐसे बच्चों को घर से निकालकर कहीं बस या ट्रेन में अकेला बैठाकर छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। इन बच्चों की समझ ज्यादा विकासित नहीं होती और घर के बारें में ज्यादा कुछ बता नहीं पाते। परिवार के होते हुए भी आश्रयों या सड़कों में घूमते हुए उनका जीवन निकल जाता है।

इन बच्चों को जिन संस्थाओं में आश्रय मिलता है, वह भी इनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करती है। इनके नाम पर दान धन मिल जाता है पर इन बच्चों के जीवन को बेहत बनाने का प्रयास करने वाली संस्थाएँ गिनी चुनी ही देश में हैं। ऐसी ही संस्थाओं पर जो पंजीकृत नहीं है, वहाँ पर महिला एंव बाल विकास मंत्रालय द्वार वैधानिक तरीके से पंजीकृत ना करवाने के बावजूद अपने यहाँ बच्चों को रखने पर उनके विरूद्व कार्यवाही का आदेश पारित किया पर वास्तविकता यह है कि देश में ''निराश्रित बच्चों के लिए बालगृह समुचित संस्था में नहीं है और मानसिक एवं शारीरिक अपंगता से गृस्त बच्चों को अपने यहाँ रखने को यह गृह तैयार नहीं होते जबकि इन बच्चों को रखने देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएँ पूरे देश में अत्यन्त सीमित संख्या में है।''

संस्थाओं के विकल्प के स्थान पर फोस्टर केयर के विकल्प को बढ़ावा देने की केन्द्र सरकार की नीति गत समय में सामने आयी। फोस्टर केयर विकासित देशों में प्रचलित है परन्तु यहाँ प्रश्न है कि भारतीय परिस्थिति में यह विकल्प बड़े बच्चों (सात वर्ष से अधिक) के लिए उपयुक्त रहेगा इस पर विचार मंथन की जरूरत

है। अभी कुछ दिन पूर्व इस क्षेत्र से जुड़े एक अधिकारी महोदय फोन पर वार्ता के दौरान कहने लगे कि वह बच्चों के प्रति जनमानस की मानसिकता से आहत है और फोस्टर केयर के लिए पैसों के लालच में सामने आयेगे, सिफारिशों का दौर शुरू हो जायेगा। यह भी पूरी सम्भावना रहेगी कि इन बच्चों का उपयोग अपने निजी काम करवाने में करें। इन बच्चों के शोषण की सम्भावना रहेगी क्योंकि हमारी मानसिकता स्वयं के बच्चों को उनके अधिकार देने की ही नहीं तो अन्य बच्चों के प्रति वह दूसरे का बच्चा है, यह भाव उस बच्चें के अधिकारों में बांधा नहीं बनेगा क्या?

इन अधिकारी की बातों से एक केस स्मरण हो गया।

अपनी बेटी की मृत्यु के पश्चात अपने दामाद के लिए पहले बच्चों के मन में नफरत बच्चों की नानी ने पैदा की। वह बच्चों को उनके पिता से मिलने भी नहीं देती। बच्चों के पिता से पैसे मिलते रहे यह लालय उनके मन में बहुत ज्यादा का था, समिति ने उससे बातचीत की और उसके शिक्षा के बारें में जांच की तो ज्ञात हुआ कि वह अपनी आयु और कक्षा के आधार पर बहुत कम जानता था। नानी द्वारा उसकी आदतों एंव व्यवहार पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वह इधर उधर घूमने लगा था। इस बच्चे और पिता दोनों से बात हुई, पिता बी० एस० एफ० में कार्यरत थे, उन्होंने बच्चे का दाखिला एक अच्छे बोडिंग में करवा दिया, वहाँ पर वह पढ़ने लगा था। स्कूल के शिक्षक से निवेदन करके वह समिति सदस्यों से कभी-कभी फोन पर बात करता था और अब वह खुश था, छुट्टियों में उसके पिता घुमाने भी ले जाते थे।

ऐसे ही अन्यत्र बालश्रम से मुक्त करायी गयी बच्ची के साथ हिंसक व्यवहार में कुल 50]000 रूपये की फिक्स डिपोजिट करायी गयी थी। उसकी तथाकथित मौसी माँ बताकर हड़पने का प्रयास करती रही जो 18 वर्ष होने के बाद उस लड़की को मिलती थी और बहुत सी मुश्किल से इस लड़की के भाई के बारे में बताया। अपनी लड़की को स्कूल भेज रही थी जबकि इसको काम पर लगा दिया था।

अतः निवेदन है कि फास्टर केयर छोटे बच्चों के लिए उनको गोद देने से पूर्व उसी परिवार में देने का अच्छा विकल्प हो सकता है लेकिन सात वर्ष से बड़े बच्चों के लिए लागू करने के पूर्व इसमें सभी पहलुओं पर चिंतन किया जाना जरूरी है।

15.

अभी कुछ दिनों पूर्व दैनिक समाचार पत्र भास्कर में एक खबर पड़ी थी कि एक नाबालिग पर उससे चार वर्ष बड़ी बालिग युवती ने शादी का झांसा देने का आरोप लगाया। किशोर को पुलिस ने पकड़ लिया और युवती के परिवार ने किशोर से शादी करने का दबाव बनाया। इस युवती की किशोर से दबाव के पश्चात शादी हो गयी।

इस घटना को पढ़ते ही राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने वाले एक किशोर का ध्यान आ गया। वह बहुत शरारती बच्चा था, मोनोएक्टिंग बहुत अच्छी करता था। उसके पिता के पास सत्तर बीघे जमीन थी, वह इकलौता वारिस था, सभी बच्चों से मिलकर रहता था। वह संस्था से निकलने के दो वर्ष के लगभग बाद समिति कार्यलय में मिलने आया, बहुत खुश था। उसके हाईस्कूल परीक्षा में 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक आये थे, वह फौज में जाना चाहता है, उसने अपनी इच्छा बतायी पर लगभग तीन साल गुजरने पर उसके केस का निस्तारण नहीं हुआ था, इसलिए वह थोड़ा चितिंत था कि उसका भविष्य प्रभावित ना हो जाय।

अपने परिवार के बारे में बताने लगा कि दीदी मेरे लिए शादी के रिश्ते आ रहे है, घरवाले तैयार बैठे है लेकिन अभी पढ़ना चाहता हूँ। शादी नौकरी लग जायेगी तब करूँगा, आपको अपनी शादी में लेकर जाऊँगा। समिति सदस्यों से मिलने वह कभी-कभी आता था। ग्यारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के कुछ महीने बाद वह आया तो बहुत चुपचाप था, इस बार वह चितिंत लग रहा था। उससे ग्यारहवीं का परिवार के बारे में पूछा तो कहने लगा कि इस बार केवल 52 प्रतिशत अंक आये हैं, मेरा रिजल्ट बहुत खराब रहा। इससे आराम से बैठकर बातचीत की और कहा तुम्हारा दिमाग तेज है, फिर यह रिजल्ट खराब कैसे रहा ? कोई समस्या है तो कह सकते हो ? इस पर वह बताने लगा कि उससे चार साल बड़ी पास के एक गाँव की लड़की उससे प्रेम करती है। उससे शादी करने को कहती है। मेरे माँ बाप वह दूसरी जाति से है इसलिए शादी को तैयार नहीं होंगे वैसे मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहता। इसी चक्कर में तनाव में पढ़ाई प्रभावित हो गयी। यह समझ

नहीं आता क्या करूं ? वह लड़की बार-बार मुझे अपने साथ भागने के लिए कह रही है और माता-पिता को ऐसा करके दुखी नहीं करना चाहता।

किशोरावस्था जीवन की महत्त्वपूर्ण अवस्था होती है, इसमें बहुत से शारीरिक, मानसिक एंव भावात्मक बदलाव बच्चों में तेजी से आते हैं। इस समय बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत होती है। बच्चे से बातचीत से यह पता चल गया था कि वह लड़की बालिग होने के साथ-साथ इकलौते वारिस होने के लालच में उसे घर से भागने पर जोर दे रही है। इस बच्चे ने बताया कि 21 वर्ष से पूर्व तुम्हारा विवाह बाल विवाह कानून का उल्लंघन होगा और लड़की तुमसे बड़ी है तो उसको तुम्हारे कैरियर बनने तक इंतजार करके अपनी समझदारी दिखानी चाहिए थी। वह घर से भागने को कह रही थी। क्या तुम्हारे माता-पिता एवं परिवार का वह आदर कर सकेंगी? ऐसा करके तुम्हारे माता-पिता का दोषी तुम नहीं बन जाओगे? अन्य ओर भी प्रश्न उसके समक्ष रखने और कहा शान्त दिमाग से विचार करना फिर निर्णय करना तुम्हारा कोई भी फैसला तुम्हारे जीवन को आबाद और बर्बाद दोनों कर सकता है।

इस बातचीत के कुछ अर्से बाद उससे मुलाकात हुई, वह आभार व्यक्त कर रहा था कि भटकने लगा था, अब वह दुबारा पढ़ाई पर ध्यान देगा। उसी दिन उसके केस का निस्तारण होना था। इसके बाद मैं कनाडा आ गयी, ईश्वर से प्रार्थना है कि यह बच्चा अपने सब सपने पूरा करें।

वह समाचार और उपरोक्त केस जैसी घटनाएँ समाज में घटती रहती है लेकिन उसका खामियाजा अकसर लड़को को भुगतते देखा। राजकीय सम्प्रेक्षण ग्रह में कुछ केस देखे जिनमें लड़की का विवाह परिवार वालों ने अन्यत्र कर दिया जबकि लड़कों के हिस्से सजा आयी। अगर लड़की बालिग है तो क्या लड़के से ज्यादा जिम्मेदारी इन केस में इन लड़कियों की नहीं बनती है।

16.

लगभग दो वर्ष पूर्व मेरी एक परिचित आंटी के घर पर बच्चों के प्रति बढ़ती के प्रति बढ़ती असुरक्षा पर बातचीत चल रही थी। पिछले सोलह वर्षों में उनके घर जाना जब भी होता, वह बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बतलाया करती थी पर उस दिन मुलाकात में वह बहुत गम्भीर दिख रही थी। अंकल जी के निधन के काफी अरसे बाद उनसे मिलना हो पाया था, उस दिन वह किसी के गम में शरीर होकर आयी थी, मैं उनकी उदासी का कारण वह समझ रही थी पर मामला कुछ ओर ही था।

उन्होंने बताया पिछले हफ्ते भी वह किसी परिचित की मृत्यु की खबर मिलने पर वहाँ उनके घर गयी। वहाँ उसकी करीबी दो बच्चियाँ रो रही थी, एक वयस्क शख्स इन बच्चियों को चुप कराने की आड़ में आंटी को लगा कि कुछ अनुचित हरकत इन बच्चियों के साथ कर रहा था। उन्हें यह बच्चियाँ दुखी और परेशान लग रही थी। गमगीन माहौल में समझ नहीं आ रहा था उन्हें किसको क्या कहे। फिर उन्होंने बताया कि बच्चियों को बहाने से अपने पास बैठाया जब तक वह व्यक्ति वहाँ से चला नहीं गया। आंटी उस दिन भी बहुत दुखी थी कि नैतिक मूल्यों में हमारे समाज में गिरावट आ गयी कि किसी के मौत के मातम में शरीक होने आये सभ्य जन इतनी नीच हरकत कर सकते हैं।

छोटे बच्चे लड़के या लड़कियां वह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते और विभिन्न प्रकार के सामाजिक आयोजनों में इस प्रकार के शोषण का शिकार बनते हैं। वह बेचारे शोषण करने वाले के परिचित होने के कारण अपनी वेदना किसी से कह नहीं पाते । बच्चों के कोमल मन पर ऐसी घटनाओं का दूरगामी प्रभाव बच्चों में असुरक्षा का भाव पैदा कर देता है और उनके आत्मविश्वास की धज्जियाँ उड़ा देता है। बाल शोषण सम्बन्धी मामलों में बच्चों के यौन शोषण के दोषी अधिकांश केसों में लगभग परिचित ही होते हैं। अतः सर्वप्रथम अपने बच्चे की सुरक्षा पर ध्यान दें, उसे सुरक्षित एंव असुरक्षित स्पर्श तथा परिस्थितियों की जानकारी उनके दोस्त बनकर दें। सार्वजनिक स्थल एंव सार्वजनिक आयोजनों में रिश्तेदार, मित्रों के घर जाने में भी यह समझे कि पहला दायित्व आपका बच्चे को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। इसके अलावा अपने बच्चों की बातों की उपेक्षा ना करें क्योंकि उन पर ध्यान ना देने से उनके लिए जोखिम की सम्भावना हो सकती है, यही समस्त अभिभावकों से निवेदन है।

17.

यह घटना माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य महोदय ने सामूहिक बातचीत में बतायी कि एक दिन उनके पास किसी व्यक्ति का फोन आया कि उनकी स्कूल की छात्राएं सरेआम कुछ युवकों की पिटाई कर रही है और उन पर गालियों की बारिश कर रही है। प्राचार्य महोदय बहुत अच्छे अनुशासन के लिए जाने जाते थे, वह बोले वहाँ पहुँचकर देखते है क्योंकि बिना बात के छात्राएं ऐसा नहीं कर सकती, उनको पूर्व विश्वास था। घटनास्थल पर पहुँचे तो ज्ञात हुआ कि ये युवक कुछ समय से विद्यालय की किसी छात्रा को अकेले देखते तो स्कूल से जाते समय उनको परेशान करते । आखिर तंग आकर उन छात्राओं ने मिलकर उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा कदम उठाया।

यह अजीब बात है कि युवक छात्राओं को जब तक परेशान करते रहे तब किसी ने कहीं शिकायत नहीं की और ना ही प्राचार्य को खबर दी। हमारे देश में ग्रामीण दूरदराज इलाके से छात्राएं शहरों में पढ़ने के लिए पैदल, बस या ट्रेन से पहुंचती हैं, वह जब तक वापिस घर नहीं पहुंच जाती तब तक उनके परिजनों की सांसें आज भी अटकी ही रहती हैं, चाहे आधुनिकता का हम कितना गुणगान कर लें पर संकीर्ण सोच में बदलाव नहीं आ पाया है।

अंग्रेजी समाचार पत्र **'द टाइम्स ऑफ इण्डिया'** 25 फरवरी 2016 के एक लेख में वर्णित था कि 50 प्रतिशत लड़कियां को स्कूल आने-जाने के रास्ते में विभिन्न प्रकार के यौन शोषण का सामना करना पढ़ता है जैसे नोचना (पिनचिंग) जबरन पकड़ने का प्रयास करना, अश्लील तरीके से ताक-झांक करना (लीरिंग) इसमें 32 प्रतिशत का पीछा गलत इरादे से किया जाता है। इस लेख में यह भी बताया है कि ब्रेक थ्रो गैर में सरकारी संस्था द्वारा 2014 के छहः राज्यों में लड़कों एवं लड़कियों ने बस स्टाप पर घटित घटना बतायी । 23 प्रतिशत ने कहा कि स्कूल की इमारत यानि स्कूल भवन भी अछूता नहीं रहा।

ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश में 1090 एवं भारत में सेवा सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस सेवा का प्रचार उत्तर प्रदेश में आई०पी०एस० नवनीत सिकेरा जी द्वारा बहुत रूचि लेकर किया जा रहा है। इस सेवा का लाभ ओर भी अच्छे से मिल सके, इसको बेहतर बनाया जा सकता था। कभी-कभी स्थिति इतनी गम्भीर हो जाती है और फोन पर बातचीत करने की स्थिति घटना के घटित होते समय सम्भव नहीं होती। ऐसी आपात स्थिति में सुरक्षा

व्यवस्था मौके पर मिल जाय यानि बिना बोले पीड़ित बच्चियाँ की काल पर तुरन्त कार्यवाही हो जाए तो बहुत सारी घटनाएँ घटित होने से बचायी जा सकती हैं और यदि जानबूझकर करता है तो उस पर दण्ड का प्रावधान रखा जाय जिससे इन व्यवस्थाओं का उपयोग जरूरतमन्द ही कर सकें । यह एक अच्छी पहल हो सकती है।

इसके अलावा आज मोबाइल जनजीवन का सामान्य हिस्सा बन गया है। स्कूली छात्राओं के साथ घटित घटनाओं के आधार पर स्कूल में मोबाइल ले जाने की अनुमति दी जाये चाहे तो स्कूल की कक्षाओं में स्विच बंद रखवा दिया जाए तो रास्ते में, बस स्टॉप पर या आपातकालीन नम्बर पर सूचना दे सकती है। तब 1090 जैसी सेवाओं का सही प्रकार से उपयोग किया जा सकेगा।

18.

आज सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र है। भौतिकतावाद के बढ़ते प्रभाव आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। निजी हितों की पूर्ति प्राथमिकता है। इस परिवेश का शिकार कभी-कभी ऐसी जिन्दगी बन जाती है साथ ही उससे जुड़े लोग भी घटिया सोच एवं परिवेश की चपेट में आ जाते हैं। ताउम्र ये जिन्दगियां अंधेरे से उजाले में आने के लिए छटपटाती रहती हैं।

गूगल जितेन्द्र गुलशन जी ने किसी व्यक्ति का विवरण दिया कि रेप के झूठे आरोपों से सात साल के बाद बाइज्जत रिहा हो गया। इस बीच उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और उसकी दो लड़कियाँ अनाथाश्रम में रहने के लिए मजबूर हो गयी। एक बार आरोप लगने पर पूरा परिवार अवहेलना और सामाजिक प्रताड़ना का सामना करता है। ऐसे में नाबालिग बच्चों की मनोदशां दयनीय हो जाती है, उनका बचपन आत्मग्लानि में बीत जाता है और उनके सिसकते बचपन का गुनाहगार शायद ही कभी सजा पाता है।

अपने स्वार्थ के लिए बड़ों पर ही नहीं बल्कि किशोर बच्चों को फंसाने के केस भी घटित होते रहते हैं। सभी से अपील है ऐसा ना करें, आपकी यह सोच सम्पूर्ण समाज को हानि पहुंचा सकती है।

भारतीय जेलों में लम्बे समय तक रहने वाले बेकसूर लोगों एवं कसूरवार दोनों के छोटे बच्चे बिना जुर्म के उस पिंजरें में बंद हो जाते हैं। इन बच्चों के लिए बहुत सी व्यवस्थाओं का दावा सामने आता है परन्तु बंद पिंजरें में इन बच्चों की समाजीकरण प्रक्रिया सही प्रकार में हो सकती है ?

यह प्रश्न सभी से है।

19.

एक लगभग चार-पाँच महीने की गुड़िया को किसी महानुभाव ने कार की डिक्की में बंद करके छोड़ दिया। इसके रोने की आवाज से पता चला कि कार डिक्की में इसे कोई रखकर वहाँ से भाग गया। यह बच्ची शारीरिक रूप से देखने में कमजोर लग रही थी। इसके परिजनों की खोज करने के साथ-साथ पुलिस विभाग के सम्बन्धित थाना क्षेत्र के बालकल्याण अधिकारी बच्ची को सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करने का प्रयास करते रहे। शाम 5 बजे से 9 बजे तक प्रयास में असफल रहने पर उनका फोन मेरे पास आया। दो दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण मेरे सीधे पैर की सर्जरी हुई थी, बैड से उठ नहीं सकती थी। सरकारी अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ से बात की तो उन्होंने साफ कहा हमारे अस्पताल में नर्सरी नहीं है, गुड़िया का चैकअप कर लिया है, कमजोर जरूर है पर अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत नहीं है। जनपद से शिशु गृह-विभाग द्वारा अधिकृत 500 किमी. से भी दूर था और अचानक रात्रि में व्यवस्था करने में कठिनाई थी। अतः अपर जिलाधिकारी प्रशासन जो भले व्यक्ति थे, उनको स्थिति से लगभग दस बजे रात्रि में अवगत कराया तो उन्होंने उस गुड़िया के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाने की व्यवस्था करवा दी। पुलिस विभाग जिस पर कार्यभार अधिक रहता है, वह अधिकारी अस्पताल के व्यवहार से आहत था कि लगभग छहः घंटे एक बच्ची को देखभाल के लिए भर्ती करवाने लग गये, इस बीच बच्ची को कुछ हो जाता तो दोष पुलिस पर मढ़ दिया जाता। इसके पश्चात अगले दिन अस्पताल के कुछ कर्मचारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले लोग बच्ची को पाने की कोशिश करने लगे। उनका कहना था कि आप दूसरे जनपद में इतनी दूर बच्चों को भेज रहे हैं, हमारे जनपद में भी बहुत से लोग निसंतान है, उनको बच्ची क्यों नहीं मिल सकती? धर्म की आड़ लेकर बच्ची

को लेने का प्रयास कर रहे थे, कोई कहता बच्ची हिन्दू की है तो कोई मुसलमान की है पर बच्ची के स्वास्थ्य की चिंता किसी को नहीं थी।

आज भी देश में गोद लेने सम्बन्धी प्रावधानों एवं प्रक्रिया का आमजन ही नहीं सरकारी तंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों, अफसरों एवं राजनेताओं को जानकारी नहीं है। बाल कल्याण समिति के विषय में भी ज्यादा मालूम नहीं है, पाँच वर्ष इन विभागों से समन्वय बनाने एवं व्यवस्थाओं के इंतजाम के दौरान बहुत कटिनाई से कार्य कर पाते थे यद्यपि आज स्थिति में बहुत सुधार आ चुका है। यह बच्ची कमजोर थी, इसको अस्पताल से दो दिन बाद डिसचार्ज कर दिया गया। इसको समिति द्वारा दूर जनपद स्थित संस्था में प्रवेश करवा दिया गया। इस बच्ची जैसे छोटे बच्चों को जब भी संस्था में भेजते हमेशा सभी सदस्यों का मन दुखी होता कि इतने छोटे बच्चों की परवरिश एक परिवार में जितने अच्छे से हो सकती है, किसी संस्था में सामूहिक देखभाल व्यवस्था में नहीं हो सकती। ये छोटे बच्चे तो अपनी तकलीफ व्यक्त भी नहीं कर सकते और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में समय लगता है, इस दौरान क्या समूची देखभाल मिल पाना सम्भव है ? किशोर न्याय अधिनियम 2015 में यह व्यवस्था है कि माता-पिता परवरिश न कर पाने की स्थिति में या अनैतिक सम्बन्ध के कारण जन्मी संतान को बाल कल्याण समिति को सौंप सकते हैं और समस्त जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। ऐसे बच्चे दत्तक ग्रहण इकाई के माध्यम से उन परिवार को मिल जाते हैं जिनको इनकी जरूरत है।

इण्डियन एक्सप्रेस 20 मई 2016 में खबर थी कि एक दम्पति नवजात बालिका को दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर एक विज्ञापन बोर्ड के नीचे छोड़ गये। बेटिओं के जन्म पर उन्हें छोड़ देने के केस समिति में कार्य करने के दौरान आये, हर बार उनकी हालत देखकर मन दुखी होता कि इस दुर्गा, लक्ष्मी से इतनी घृणा क्यों? जबकि बहुत से लोग संतान की चाहत में भटकते हैं कि उनके यहाँ चाहे लड़की ही हो पर संतान हो। इसलिए ऐसे बच्चों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सभी से सार्थक प्रयासों की अपेक्षा रखते हैं कि मरने के लिए अपने बच्चों को ना छोड़ें बल्कि किसी और के घर का चिराग बनाकर बच्चे और उस परिवार में खुशियाँ बांटे। क्या ऐसा सम्भव नहीं हो सकता कि प्रत्येक जनपद से केन्द्रीय दत्तक ग्रहण ऐजेन्सी में पंजीकृत गोद लेने के इच्छुक परिवार की वरीयता क्रमानुसार सूची बाल कल्याण समिति को प्रेषित कर दी जाये और उस सूची में सम्मिलित इच्छुक परिवार को शिशु को सौंपा जा सके तथा बाद में न्यायालय में पंजीकरण करवा दिया जाये। इन परिवारों की जाँच इत्यादि पूर्व में करवा ली जाये। संस्थाओं में

देखरेख के अतिरिक्त बच्चों की सुरक्षा की समस्या से आमजन भी अवगत है। संस्थाओं में स्टाफ द्वारा शोषण के मामले पूर्व में प्रकाश में आये हैं दूसरा संस्था में समुचित सुविधाएँ विशेषकर इतने छोटे बच्चों के लिए जीवन रक्षक आवश्यक प्रबन्ध में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। इस बच्ची को संस्था भेज दिया गया जहाँ से इसके स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं विभाग सम्बन्धी सूचनाएँ प्राप्त होती रही। संस्था द्वारा इस बच्ची के गोद दिये जाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी थी। अचानक संस्था अधीक्षक का पत्र आया कि इस बच्ची का निधन हो गया है। इस बच्ची की मृत्यु ने यह प्रश्न खड़ा किया कि इसके जैसे बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? वह माता-पिता जिसने अपने अंश को मरने के लिए छोड़ दिया था वह व्यवस्थाएँ या कानूनी अनभिज्ञता जिनसे आज भी समाज का परिचय नहीं हो सका।

20.

यह वर्णन करने से पूर्व सभी से क्षमा चाहती हूँ कि इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना है और सभी से निवेदन है कि विवाद उत्पन्न ना करें। यहाँ पर इसको वर्णित करने का उद्देश्य बचपन के उस दर्द की अभिव्यक्ति करना है, जिसमें वर्षों पहले उस समय मेरे दिल को बेचैन कर दिया था, आज भी मन में प्रश्न बने हुए है।

लगभग तेरह वर्ष पूर्व की घटना है, उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी लगभग तीन-चार वर्ष की थी। घर के पास स्थित धार्मिक संस्था में धर्म विशेष को महिलाएँ साधु रहा करती थी। इन महिलाओं के पास जब भी जाना हुआ, वह उस छोटी बच्ची से कहती महाराज बनोगी देखो सब हमारा सम्मान करते है, बेटी छोटी थी पर उसके बहुत से प्रश्न होते कि वह मुझे हमेशा क्यों ऐसा कहती है? इस दौरान वहाँ पर सन्यास ग्रहण करने वाले के लिए दीक्षा देने का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में देश-विदेश से भाग लेने बहुत से व्यक्ति आये थे। आस-पास बहुत से परिवार रहने के लिए आये तो उस छोटी-सी जगह में मेले की अनुभूति हो रही थी। घर से थोड़ी दूरी पर एक आठ दस बरस का लड़का खेलने में मग्न था। इस बच्चे के गले में फूलों की माला पड़ी हुई थी।

वही रहने वाली मेरी एक मित्र आयी उसने बताया कि दीक्षा से पहले दिन जो भी सन्यास का रास्ता अपनाता है, बच्चे, महिला पुरुष सभी के परिजन के साथ पहले दिन मान्यताओं एवं रिवाजों के अनुसार इलाके में जुलूस निकाला जाता है। कल दीक्षा कार्यक्रम है। यह बच्चा देर तक इसलिए खेल रहा है, कल यह भी दीक्षा लेगा और इसका जीवन दूसरे तरह का हो जायेगा। अगले दिन दीक्षा कार्यक्रम देखा और उसके बाद एक सम्मानित जन की आँखों से आँसू गिरते देखा वह छोटे बच्चों एवं अल्पव्यस्क किशोरियों के दीक्षा लेने से आहत थे।

उस समय अनेक प्रश्न मन में उठे कि क्या दस वर्ष के बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास एवं भावात्मक विकास इतना हो जाता है कि वह अपने जीवन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण फैसला खुद की इच्छा से कर सकें। भगवान बुद्ध हो

या महावीर स्वामी जी के जीवन पर दृष्टि डाले तो उन्होंने भी परिपक्व अवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। प्रत्येक धर्म मानव जाति के कल्याण एवं अंहिसा पर जोर देता है पर बच्चों को उनके बचपन के अधिकार से वंचित करना क्या हिंसा नहीं है ?

परिजन, अभिभावक या माता-पिता का दायित्व सर्वप्रथम व्यस्क होने से पूर्व अपने बच्चे को विकास का समुचित अवसर एवं परिवेश प्रदान करना है उसके गुणों, मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुरूप मार्गदर्शन देना है या अपनी आस्था-समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने की महत्वकांक्षा के समक्ष बच्चों के प्रति अपना दायित्व निभाना मायने रखता नहीं क्यों?

प्रत्येक धर्म, संस्कृति एवं परम्पराओं का महत्व जीवन को सुन्दर एवं व्यवस्थित तरीके से जीवन व्यतीत करने का मार्ग दिखलाने में है फिर इन बच्चों के बचपन की कली को फूल बनकर महकने से पूर्व इस प्यारे बचपन की आहूति देना उचित है? यह प्रश्न आप सभी से है?

21.

एक दस वर्षीय बालक जनपद की कचहरी परिसर में चाय की एक कैन्टीन में काम कर रहा था। जिला प्रशासन द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से बाल श्रम से बच्चों को मुक्त करवाने का अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ही इस बालक को श्रम विभाग द्वारा मुक्त करवाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

यह बालक जब समिति के सामने आया, भयभीत था और रो रहा था जैसे कि काम करके वह कोई गुनाह कर रहा हो। थोड़े समय उपरान्त उसके सामान्य होने पर बातचीत हुई तो पता चला कि उसकी माँ एवं पिता भी मजदूरी करते है। बड़ी बहिन की कुछ समय बाद शादी है, मात्र 10]000 रुपये की जरूरत है। वह कह रहा था कि उसे काम करने दे वरना उसकी बहिन की शादी रूक जायेंगी, बहुत दुःखी हो रहा था।

इसी समय जिस जगह वह काम कर रहा था, उसके मालिक का भाई वहाँ आया और कहने लगा कि वह बच्चा चोरी तो नहीं कर रहा, मेहनत करके अपने परिवार की मद्द कर रहा है। दूसरा मेरा प्रश्न तमाम लोगों से है कि इस बच्चे को काम से हटाने के बाद उसकी बहिन की शादी का खर्चा कौन उठाने को तैयार है? क्या इसके परिवार को तमाम वह व्यवस्थाए उपलब्ध हो सकेंगी जिससे दुबारा यह मजदूरी ना करें। प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद चार साल बाद क्या उसकी गरीबी की समस्या का हल निकल सकेगा ?

22.

बरसों पूर्व मैं झूंझनू जिले राजस्थान में शिक्षण कार्य करती थी। दीपावली अवकाश होने पर अपने परिवार के पास लांडनू जिला नागौर के लिए बस में बैठी थी। एक महिला मेरे पास आकर बैठी। उनके नाना स्वतन्त्रता सेनानी थे, पिता शिक्षक थे और वह स्वयं भी माध्यमिक स्तर पर शिक्षण कर रही थी। वह बहुत सुलझी हुई थी, बहुत से विषयों पर बातचीत हुई। इस दौरान बच्चों द्वारा अपने घर से दूर जाकर कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाने की बात आयी। राजस्थान में कोटा जिला उस समय भी आई.आई.टी. और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयार के करवाने एवं सफलता दिलवाने के लिए सभी के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ था।

कोटा का नाम आते ही इस महिला का चेहरा फीका पड़ गया और कुछ समय के लिए वह परेशान हो गयी फिर अपने को संयत किया और बोली मैडम मैं अतीत की एक घटना की स्मृति हो जाने से दुखी हो गयी थी। ये संस्थान जिनको बच्चों के परिजन एवं बच्चे अपने सपने को पूरा करने के लिए चुनते है, वह कभी-कभी उनको पीड़ा दे देते है। वह बता रही थी कि उनकी छोटी बहिन आज डॉक्टर है उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए वहाँ एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया । परिवार से दूर जाने की वजह से शुरू में उनकी बहिन का मन नहीं लग रहा था। संस्थान के संचालक महोदय ने पहले प्रगति रिपोर्ट पर ना खुशी जतायी फिर उस बच्ची से कहा वह अकेले में अपनी समस्या पूछ सकती है। इसके बाद बच्ची ने अपनी बहिन को फोन किया और कहा वह यहाँ नहीं पढ़ना चाहती।

इस लड़की की बहिन एवं पिता तुरन्त संस्थान गये और बहिन ने संचालक महोदय से बात की। वह उस वार्ता से समझ गयी कि यहाँ उसकी बहिन अवसाद की चपेट में आ जायेगी और डाक्टर बनने का सपना टूटते वह भी बिखर जायेगी। उसने अपनी बहिन को तुरन्त कोटा में ही किसी ओर संस्थान में दाखिला करा

दिया। वह बता रही थी, उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ पर आज वह और उसकी बहिन खुश है। उसने तमिलनाडु से मेडिकल की पढ़ाई की और उसका विवाह हुए साल भर से ज्यादा हो गया।

यह घटना मुझे अचानक याद आ गयी जब पुस्तक लिखते समय मेरी पड़ोसी हरप्रति कौर से कुछ सुझाव माँगे तो उन्होंने हाल में अप्रैल 2016 में कोटा में आई.आई.टी. परीक्षा उतीर्ण करने वाली होनहार बच्ची की आत्महत्या करने की दुखद घटना का जिक्र किया। यह वह घटना थी जिसमें देश में ही नहीं विदेश में रहने वाले भारतीयों को सोचने को मजबूर कर दिया कि इस प्रकार की आत्महत्या का दोषी कौन?

कोटा शहर जिसमें हर वर्ष लाखों छात्र-छात्राएं मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आते है। वहाँ यह आत्महत्या पहली घटना नहीं थी बल्कि यहाँ की चिन्ताजनक स्थिति पर 19 दिसम्बर 2015 में राष्ट्रीय सहारा में विशेष गुप्ता जी द्वारा लिखित आलेख प्रकाशित हुआ कि 'आत्महत्या का हब ना बनने दें' जिसमें पिछले पाँच वर्षो में 77 बच्चों द्वारा अपनी जान गंवा देने का जिक्र किया गया।

विशेष गुप्ता जी जो एक समाजशास्त्री भी है उन्होंने इस लेख में कोचिंग संस्थान द्वारा कमजोर बच्चों से भेदभावपूर्ण व्यवहार का मुद्दा भी उठाया है। इसमें उन्होंने छात्र-छात्राओं की सफलता का प्रतिशत मात्र 10 प्रतिशत बतलाया यानि 90 प्रतिशत बच्चे असफल होकर यहाँ से टूटे सपनों के साथ वापिस चले जाते है। उन्होंने वर्ष 2015 में 20 बच्चों द्वारा आत्महत्या करने का जिक्र किया। विशेष गुप्ता जी का एक लेख अमर उजाला समाचार पत्र में 6 अप्रैल 2016 को प्रकाशित हुआ जिसमें मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षो में छः सौ से ज्यादा बच्चों द्वारा आत्महत्या किया जाना वर्णित था कि परीक्षा का दबाव बच्चों को टॉपर से कहाँ पर ले जाकर छोड़ता है, यह दबाव परिवार एवं समाज सभी के हित में नहीं है।

सरिता पत्रिका (मई प्रथम अंक 2016) में आत्महत्याएं जिम्मेदार कौन? द्वारा लिखित आलेख में भी दबाव का जिक्र बड़ी संजीदगी से किया है कि होनहार छात्र-छात्राएँ स्कूल एवं अभिभावक दोनों के दबाव को झेल ना पाने पर अन्ततः जिन्दगी से हार मान ऐसा अनुचित कदम उठा लेते है।

बच्चों द्वारा आत्महत्या किये जाने के मामलों में वृद्धि को देकर समाजशास्त्री एवं मीडिया द्वारा निरन्तर आवाज उठायी गयी परन्तु अभी तक इस दिशा में ठोस पहल सामने नहीं आयी। कोचिंग संस्थान हो या बड़े-बड़े शिक्षण संस्थान पब्लिक

स्कूल बच्चों के भविष्य सुखमय बनाने के ज्यादा संस्थान की प्रतिष्ठा एवं समृद्धि को महत्व देते नजर आते है। आई.आई.टी. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आत्महत्या करने वाली बच्ची ने भी संस्थान के दबाव का वर्णन किया। इस बच्ची के अलावा अन्य बच्चों के सोसाइड नोट देखे तो वह इन संस्थानों की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में खड़ा करते है।

इस बच्ची के मृत्यु पूर्व लिखे पत्र में अपने अभिभावकों से अपनी भावना व्यक्त की कि उसकी बहिन को उसकी इच्छानुसार कैरियर चुनने दें यानि कि यह मौत को गले लगाने वाली होनहार बच्ची की इच्छा आई.आई.टी. में जाने इंजीनियरिंग करने की नहीं थी। हमारे देश में इंजीनियरिंग मेडिकल एवं प्रशासनिक तंत्र से जुड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा अभिभावकों से अपने बच्चों से इन क्षेत्रों में जाने की अपेक्षा को बढ़ावा देती है और कभी-कभी जो माता-पिता हासिल नहीं कर सके अपने उन सपनों को पूरा करने का जरिया अपने बच्चों को बनाते है। परन्तु कभी-कभी ऐसी दुखद घटनाएँ सभ्य समाज के सामने प्रश्न खड़ा करती है कि प्रत्येक काम को एक जैसा सम्मान हम क्यों नहीं दे सकते? बच्चों की क्षमताओं एवं रूचि के अनुसार कैरियर चुनने में मार्गदर्शन देने के लिए स्कूल में परामर्शदाता सेवाओं की व्यवस्था भारत में आजादी के इतने वर्षो बाद भी नहीं हो सकी। सरकारी स्कूल में संसाधनों की कमी हो सकती है पर भारी भरकम फीस लेने वाले स्कूल। कोचिंग संस्थान बच्चों के तनाव एवं कुंठा को दूर करने के लिए यह व्यवस्था उपलब्ध ना करवाकर बच्चों के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण रखे हुए है। बल्कि इन होनहारों के जीवन से खिलवाड़ भी कर रही है।

सेकेण्डरी परीक्षा या किसी कोर्स में चयन परीक्षा की संरचना पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है। दसवीं ग्यारहवीं एवं बारहवीं के आधार पर सतत मूल्यांकन पद्धति को अपनाया जा सकता है जिससे प्रतियोगी परीक्षा का प्राप्तांक भी जोड़ा जा सकता है यदि परीक्षा चयन हेतु लेनी है जो पूर्व वर्षो के मूल्यांकन के साथ एक परीक्षा ही हो जिसमें निर्धारित न्यूनतम अंक लाने पर प्रवेश हेतु आवेदन कर सकने की सुविधा हो।

पाठ्यक्रम की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि 10 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे 80 प्रतिशत अंक ना ला सके क्योंकि ज्यादा अंक प्रतिशत एवं वर्तमान संरचना अभिभावकों एवं बच्चों को इतना अधिक आशावान बना देती है कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में सफल ना रहने पर बच्चा कुंठा ग्रस्त होकर आत्महत्या जैसा दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा लेता है। इसके साथ ही सम्पूर्ण देश में एक जैसी परीक्षा

प्रणाली एवं पाठ्यक्रम लागू किये जाने पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

कोटा में घटित उस घटना से आहत उस समय वहाँ के कलेक्टर महोदय ने पत्र के द्वारा तमाम अभिभावकों को संदेश देकर एक संवेदनशील पहल की है। यह पत्र सभी को विशेषकर हरेक अभिभावक को जरूर पढ़ना चाहिए जिससे देश के होनहार भावी युवाओं के जीवन को नष्ट होने से बचाया जा सके।

इसके अलावा जीवन में बौद्धिक गुणांक (I-Q) से महत्वपूर्ण संवेगात्मक गुणांक (Emotional Qu.) होता है। जीवन में बेहतर समायोजन एवं सफलता इससे प्रभावित होती है। पढ़ाई के अलावा कला, साहित्य, संगीत, खेल सामाजिक गतिविधियों एवं आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े बच्चों के लिए जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी समायोजन करना इतना मुश्किल नहीं रहता है। वह अपने संवेग (Emotions) क्रोध, भय, घृणा, प्रेम इत्यादि पर नियंत्रण कर लेता है, यानि व्यवहार पर नियंत्रण रख पाता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास के साथ-साथ बच्चों के संवेगात्मक विकास एवं समस्याओं पर ध्यान देना भी होना चाहिए। जिससे क्षणिक आवेग में आकर आत्महत्या जैसे अनुचित कदम उठाने की बच्चों की इस प्रवृति पर अंकुश लगाना सम्भव हो सकें।

23.

दो वर्ष पूर्व जून की तपती दुपहरी में मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाने की बस में बैठी थी। बस में छह सात साल का एक बच्चा चढ़ा और सवारियों से पैसे माँगने लगा। उसको बस स्टैण्ड पर पहली बार देखा तो बात करने का मन हुआ पूछा लिया कि तुम इस जिले के रहने वाले नहीं लग रहे हो, अकेले हो क्या? वह फुर्तीला बालक था, बोला अभी आया और तुरन्त अपनी बहनों को बुला लाया। वे लड़कियां उस लड़के से बड़ी थी। इन बच्चों से बातचीत हुई तो ज्ञात हुआ कि वह बच्चा और उसका परिवार ललितपुर जिले के रहने वाले हैं। सभी बच्चें स्कूल जाते हैं, मिड-डे मील भोजन से पेट भर जाता है पर गर्मी की छुट्टियों में भोजन की तलाश में दूसरे जनपद में भीख माँगकर पेट भरते हैं। उन्होंने कहा, वहाँ से वह ही नहीं बल्कि और भी परिवार आये हैं।

अपनी भूख मिटाने की तलाश में अक्सर परिवार मजदूरी करने या माँग कर खाने के लिए अपने इलाके से दूर दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आगरा के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस जी ने 19 जून 2016 को Social Activist की फेसबुक पोस्ट शेयर की कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखण्ड इलाके में बच्चे आठ माह तक स्कूल नहीं जा पाते। सूखे की चपेट में रहने के कारण यहाँ के निवासी अपने परिवार के साथ रोजगार की तलाश में ईंट के भट्टों पर मजदूरी करने चले जाते हैं और बच्चों की देखभाल के विकल्प ना होने के कारण बच्चों को वहीं साथ ले जाते हैं जहाँ पर शिक्षा से तो दूर हो ही जाते हैं वरन श्रमिक बन जाते हैं। ये परिवार अक्तूबर से जून तक इन्हीं भट्टों पर रहते हैं, ऐसे में शिक्षा के अधिकार से वंचित इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास मोबाइल स्कूल चलाकर और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव करके किया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि बाल श्रम एवं भिक्षावृति का मूल कारण परिवार की खराब आर्थिक स्थिति, शिक्षा का अभाव और देश में जनाधिक्य होना है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के 8-2 मिलियन बच्चे बाल श्रम में

लिप्त है वही The south Asian post [June 16- June 22] साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेख A market made in misery में 5 वर्ष आयु समूह के दो मिलियन बच्चों को बाल श्रम से जुड़ा बतलाया है। 24 लाख किशोर खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे है। [Child Right UTTRAKHAND Facebook 11 June 2016] स्कूल जाने की उम्र में दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में बचपन गंवा देते है। A market made in misery लेख में प्लान इण्डिया की प्रशासकीय निर्देशक Execrtine Directer भाग्यश्री डेन्गले के 2020 के प्लान इण्डिया विजन के अन्तर्गत 2 मिलियन बच्चों के जीवन में सुधार लाने की प्रतिबद्धता सरकार की बतलायी है और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेकर इस हेतु कार्यक्रम संचालित करने की नीति बतलायी है।

इसी दौरान बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने एवं बालाधिकार के लिए कार्य करने वाले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी का लेख इण्डिया टुडे 2 जून 2016 को प्रकाशित हुआ। इसमें देश के सूखे के कारण बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों की सूचना दी गयी है। लगभग दस राज्यो के 254 जिलों के 16-3 करोड़ बच्चे इस सूखे से प्रभावित हुए है। हर साल किसान सूखे एवं गरीबी से लडाई में हार मानकर अपनी जान गंवा देते है। इन आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चे बाल मजदूरी करने पर विवश हो जाते है। स्कूल की पढ़ाई शुरू होने से पहले ही बंद हो जाती है। लड़कियों की व्यस्क होने से पूर्व विवाह कर दिया जाता है। द. भारत में कर्नाटक, मराठवाड़ा एवं तेलगांना में सूखे के कारण बेटिओं को देवदासी बनाने का जिक्र भी सत्यार्थी जी ने किया है।

भारत में यह दुखद स्थिति है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में पानी के अभाव में दूरदराज के क्षेत्र में पानी लाने के लिए महिलाओं एवं बच्चिओं की जान तक चली जाती है। वहीं सम्पन्न वर्ग द्वारा पानी बहाया जाता है। धीरे-धीरे देश में अधिकतर हिस्सों में जल स्तर घट रहा है वहाँ भी जहाँ बारिश ठीक-ठाक हो जाती है सिंचाई के लिए गहराई पर बोरिंग करवाकर किसान इन क्षेत्रों में पानी का प्रयोग करते है। हमारे पास जल संसाधन के समुचित उपयोग एवं वितरण को लेकर कोई व्यवहारिक नीति नहीं है। जो इसके कारण अन्य समस्याओं के जन्म का कारण बन रही है।

सर्वप्रथम पानी के उपयोग का मीटर हर घर में चाहे ग्रामीण, शहरी एवं व्यवसायिक अनिवार्य हो, साथ ही पानी का जितना ज्यादा उपयोग को उस पर उतना ही टैक्स अधिक हो और इस कर से गरीब लोगोंके इलाके में सूखे से

प्रभावित क्षेत्र की समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाय। वह क्षेत्र जहाँ बारिश अधिक होती है बाढ़ की चपेट में आ जाते है, उनका पानी इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पहुँच सके, ऐसी व्यवस्था करने के प्रयास सरकार द्वारा किये जाने चाहिए।

नये मकान एवं भवन निर्माताओं के लिए वॉटर हारवेस्टिंग को वहाँ पर अनिवार्य करना चाहिए जिससे बारिश का नालियों में व्यर्थ में बहने वाले पानी का संग्रह हो सके। राजस्थान में लगभग पाँच वर्ष बिताये तो देखा कि ज्यादातर घरों में बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए टैंक बना रखे थे। बारिश कम होती थी फिर भी उसका संग्रह करने एवं उपभोग करने का तरीका ऐसा था कि बरसों तक उस पानी का उपयोग कर लेते थे।

यहाँ पर यह वर्णन करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि सूखे से निपटाने के लिए व्यापक नीति की अमल में लाने की जरूरत है और यह भी तब सम्भव होगा जब देश का कारपोरेट जगत इसमें योगदान देंगा। सूखे से प्रभावित परिवार से उन्हें बाल श्रमिक उद्योग जगत को आसानी से उपलब्ध हो जाते है पर उनको समझना होगा कि उत्पादन एवं कार्य क्षमता उन श्रमिकों की बेहतर होती है जिनकी कम से कम मूलभूत आवश्यकताए विशेषकर भोजन एवं पानी से जुड़ी जरूरतें पूरी हो पाये। इन श्रमिकों के बच्चों को बाल श्रम से जोड़ने की बजाय उनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

बाल श्रम निषेध कानून एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस समस्या का समाधान करते नजर नहीं आते क्योंकि यह समस्याएँ समाज की जागरूक पहल के बिना दूर नहीं की जा सकती है। अतः जितना धन व्यर्थ के भोज, समारोह और सेमिनार इत्यादि में खर्च आजकल दिखावे में किया जा रहा है उसका आधा भी इन बच्चों एवं उनके परिवारों की दशा बेहतर बनाने में कर सकें, यह प्रयास सभी का जीवन बेहतर कर सकता है।

24.

कनाडा आने से कुछ माह पूर्व पास के जनपद की राजकीय सम्प्रेक्षण गृह संस्था में किशोरों के भयानक उत्पात की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही थी। वहाँ की विषय स्थिति को सम्भालने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी का कार्यभार स्थानान्तरित होकर आये अधिकारी महोदय ने सम्भालने के बाद मुझसे वहाँ के बच्चों से वार्ता एवं परामर्श सेवा देने के लिए कहा। उस समय एक पुस्तक लिखने और कनाडा आने की तैयारी में व्यस्तता होने के कारण एक दिन का समय निक. ालकर अपने समिति सदस्य श्री धरमपाल सिंह के साथ बच्चों की काउन्सलिंग के लिए उक्त संस्था में प्रवेश किया। लगभग दो तीन घंटे वहाँ बच्चों के बीच बिताये। संस्था में रहने की क्षमता से चार गुना बच्चे उस समय वहाँ पर थे। बच्चों के केस निस्तारण में समय लगने के कारण बहुत लम्बे समय से बच्चे वहाँ रह रहे थे। उनके आपस में गुट बन गये थे। वह लम्बे समय तक रहने की हताशा आपस में तथा स्टाफ से मारपीट कर निकालने लगे थे।

इन बच्चों से लगातार दो घंटे हम लोगों की बातचीत हुई, उनकी समस्याओं का हल खोजने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इस समूह में एक सत्रह वर्षीय किशोर चुपचाप बिना प्रतिक्रिया दिये मुँह नीचे किये लगातार बैठा था, उसको देखकर लग रहा था कि वह अपने जीवन में उजाले की उम्मीद छोड़ चुका है।

इस किशोर से कहा, तुम्हारी समस्या कोई हो तो बताओ, वह कुछ नहीं बोला पर नाम पूछने पर मुँह ऊपर किया तो उसकी आँखों में आँसू दिखलायी पड़े। साथी बच्चों ने बिना पूछे ही बताना शुरू कर दिया। "अरे ये डॉक्टर साहब तो पूरे दिन अपनी दुनिया मे खोये-खोये रहते है बस रोते ही रहते है।" बच्चों ने ही बताया कि यह किशोर मेडिकल कालेज में प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूरे साल से कर रहा था, पर वह परीक्षा नहीं दे पाया, उन बच्चों के अनुसार किसी ने उसकी सामाजिक मीडिया पर आई डी से किसी लड़की को परेशान कर रखा था वह

लड़की बस इसकी दोस्त थी पर उसने यह यकीन नहीं किया उसने यह नहीं किया। यह साइवर क्राइम का केस था। अकसर किशोर लड़के-लड़कियां एक आई डी बनाकर सामूहिक रूप से एक पासवर्ड आपस में शेयर करते है पर वह नहीं जानते उनके लिए यह जोखिम भरा हो सकता है।

बाल कल्याण समिति में कार्य करने के साथ पाँच वर्षों तक लगातार राजकीय सम्प्रेक्षण संस्था के बच्चों से जुड़े रहने का अवसर विभाग से मिला। लड़की-लड़कों की आपसी दोस्ती के केस के अलावा वह केस भी सामने आये जिनमें ग्रामीण, पारिवारिक एवं जातिगत रंजिश में किशोर पर हत्या या रेप का आरोप लगाया गया था। लड़की एवं लड़कों की दोस्ती में सजा लड़कों के हिस्से आयी।

वह बच्चे जिन्होंने गलती की है उनकी तुलना में जिन पर मिथ्या आरोप लगाये जाते है, उनका रिश्तों एवं समाज पर से विश्वास उठ जाता है और वह अवसाद एवं आक्रोश में खुद को नष्ट करने का प्रयास करते तो कभी-कभी घृणा भाव इतना बढ़ जाता है कि समाज एवं अपने आस-पास के परिवेश को क्षति पहुँचाना शुरू कर देते है।

इसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न है कि लड़के एवं लड़की की दोस्ती के बारे में लड़की के परिजनों ने लड़की पर उस समय ध्यान नहीं दिया परन्तु सजा लिंग भेद की मानसिकता के कारण लड़को को तब भी मिले जब दोनों की सहभागिता हो, क्या ऐसा उचित है? अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपनी संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त होकर कभी भी मिथ्या आरोप किसी बच्चे पर उसके परिवार से अपने निजी हितों का बदला लेने के लिए ना लगाये। इन बच्चों के सुखद भविष्य से ही राष्ट्र का भविष्य सुन्दर हो सकता है।

25.

लगभग आठ वर्ष पूर्व राजस्थान में शिक्षण कार्य करती थी। उसी दौरान एक बार रात्रि बस में दिल्ली अन्तराष्ट्रीय बस अड्डे से झूंझनू जाने के लिए बस में बैठी। उसी बस में एक महिला चढ़ी जिसके उस दिन प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में किसी स्टाल पर पर्स, क्रेडिट कार्ड सब चोरी हो गया था। बस परिचालक से उसने कहा कि वह उसकी घड़ी या मोबाइल लेकर सफर करने की व्यवस्था कर दें, उसके पास पैसे नहीं थे। वह महिला जयपुर में डिग्री कालिज में अंग्रेजी विषय की प्रोफेसर थी और सामान चोरी होने पर वह जयपुर तक किराया नहीं दे सकती इसलिए अपनी सहेली के यहाँ रुकना चाहती थी तो धारूहेड़ा से आगे रहती थी, उसके पति बस स्टाप पर लेने आने वाले थे ।

इस घटना से उसकी पुरानी यादे ताजी हो गयी। बचपन की यादें बताते हुए शब्द गले में अटक रहे थे। उसने बताया कि पिता आर्मी में मेजर थे और माँ हिन्दी की लेक्चरर थी। एक बड़ा भाई था। उसकी माँ की इच्छा थी कि उनके घर में बेटी का जन्म हो। इस महिला का जन्म हुआ लेकिन दुर्भाग्यवश माँ का निधन हो गया। पिता और भाई बहुत प्यार करते थे। पिता आर्मी में थे इसलिए भाई और उनकी परवरिश बुआ ने की। बुआ हमेशा कहती थी कि तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गयी। बचपन से आज तक इससे मुक्त नहीं हो पायी। आखिर मुझे किस गुनाह की यह सजा मिली जबकि हमेशा मन में दर्द रहा कि माँ की शक्ल भी में देख नहीं पायी। माँ के प्यार से वंचित हम भाई बहिन हुए, सबसे बड़ा हमारा दुःख था। छोटी थी तब कभी सोचती काश मेरा जन्म नहीं होता या पैदा होते ही मर जाती। बचपन में अपने को कोसती और अकसर अकेले में रोया करती थी।

यह विडम्बना है कि किसी बच्चे के अभिभावकों की मृत्यु होने पर या परिवार टूटने पर सभी का दोष इन मासूम बच्चों पर मढ़ देते है। बचपन को सिसकियों में डूबा देते है? आखिर कब इस मानसिकता में बदलाव ला सकेंगे?

बच्चों की दुनिया में डूबकर तो देखिए...

बच्चों को लेकर आज समाज में जिस संवेदनशीलता की आवश्यकता होनी चाहिए, वह अभी भी नहीं देखी जा रही है। सामाजिक पहलुओं पर नजर डालें तो हर किसी को बस अपने बच्चे पसन्द हैं और सब सोचते हैं कि उन्हें चुनौतियां और कष्टों का सामना न करना पड़े। लेकिन यही दृष्टिकोण वो अन्य बच्चों की खातिर नहीं बना पाये। अनेक घटनाओं, केस, अध्ययनों व सामाजिक अनुभव से यह स्पष्ट हो चुका है कि बच्चे हर समाज में कई तरह के भेदभाव व हिंसा उत्पीड़न का शिकार होते रहे। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक कारणों के साथ ही अनेक ऐसे कारण भी हैं जो मनुष्य के भीतर से पैदा होते हैं। वहीं से मनोवृत्ति और सोच को हम बनाते हैं। किसी बच्चे को हम दया या बेचारे की श्रेणी में रखते हैं, किसी को काम करने वाले छोटू के रूप में, यही इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है। उनके जीवन का एहसास अपने जीवन से जोड़िए। उन्हें किसी खास मानसिकता में बाध्य कर मत देखिये। वो सभी बच्चे हमारे अपने मनुष्य समाज के हैं। उनके सर्वांगीण विकास, बाल अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य, पोषण भी सामाजिक प्यार, परवरिश देने की जिम्मेदारी हमारी है। बच्चे तो ईश्वर का रूप हैं उन्हें समाज को उस परिस्थिति से निकालना चाहिए जिनका वो सामना कर रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के कारण कई बार समान भेदभाव, उपेक्षा उत्पीड़न को जन्म देता है। यह बहुत घातक है। सड़क के किनारे काम करता बच्चा भी आपसी संवेदनाओं में उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, जितना की आपके ए०सी० ड्राईंग रूम में बैठकर वीडियो गेम खेलता बच्चा है। समाज में अन्य दूरियों की बात छोड़िये कम से कम इस दूरी को कुछ समय या कुछ दूर तक मिटाइये। इन बच्चों की दुआएं ही आपकी किस्मत बदलेंगी। क्योंकि ये हैं ही भगवान का रूप। समाज को आगे आकर और मजबूती से बच्चों की दुनिया को सुन्दर बनाने की पैरवी करनी होगी। आप दुकान पर काम करते हुए छोटू बोले जाने वाले बच्चों की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, उन्हें देखिए आपका मन पिघलेगा आपको अपना बचपन याद आयेगा, आप सिहर उठेंगे अपने अंदर झाकेंगे और कहीं न कहीं कैसे भी जरूर यह संकल्प लेंगे कि सब बच्चे एक हैं, फर्क है तो सिर्फ हमारी सोच का। आप अपने आस-पास चुपके से बच्चों की दुनिया में शामिल होंगे उनके लिए जितना हो करें, यह सामाजिक पुण्य के साथ देश के विकास में भी आपका योगदान होगा।

आइये, हम संकल्प लें बच्चों की दुनिया को शोषण मुक्त उत्पीड़न मुक्त, बनायेंगे और सामाजिक नैतिकता के नाते ही सही हर बच्चे को अपने बच्चे जैसा व्यवहार व सहायता के नजरिये से देखेंगे।

आप समाज सेवी मत बनिये बल्कि सामाजिक सोच बनायें, भावनाएं दिखाने में प्रदर्शित न करें, जो काम करता है वो चुपके से भी कर सकता है अपना ढिंढोरा मत पीटिए, बस आप जैसे भी हो करते जाइये फिर देखिए आप अपने जीवन में क्या-क्या पाते हैं।

-डॉ० संजीव कुमार

एम०ए०एच०डी० (समाज शास्त्र)

(लेखक समाजशास्त्री होने के साथ ही विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लेखन कार्य से जुड़े हैं।)

सम्पर्क सूत्र- 09837016865

Email- goldygeeta@gmail.com

मेरा बाल सुरक्षा को लेकर अनुभव

बाल सुरक्षा समाज का एक ज्वलन्त मुद्दा है। सभी अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिन्तित हैं। यौनिक हिंसा, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, बच्चों का गुमशुदा होना, बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृति, विद्यालयों में शारीरिक दण्ड आदि मुद्दे वास्तव में गम्भीर हैं। इन सबको देखते हुए एक केस ध्यान आया कि लगभग 8 वर्षीय बच्ची अपनी सौतेली मां से इस कदर परेशान थी कि वह कई बार घर छोड़कर जा चुकी थी। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति भी आयी कि उसके मां-बाप ने उसे लेकर आना भी बंद कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता ही उसे उसके घर छोड़ने गये। इस केस से पता चलता है कि बच्ची का अपने माता-पिता से मोह समाप्त हो चुका है। कहीं न कहीं इसमें माता-पिता ही जिम्मेदार हैं। पहले एक सामाजिक ताना बाना था, लोग मौहल्ले आस-पड़ोस के बच्चों को अपना समझते थे। सब मिलकर बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देते थे। किसी परिवार में अगर कोई हिंसा या समस्या उत्पन्न होने पर बड़े बुजुर्ग हस्तक्षेप कर देते थे। समस्या को सुलझाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोगों का अपनापन समाप्त हो गया। पड़ोस में कुछ भी होता रहे उन्हें मतलब नहीं। वे जब चिंता व्यक्त करते हैं जब उनके खुद के घर में होता है। सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों के साथ होती है जिनकी उम्र लगभग 4&5 वर्ष की अवस्था में घर से भटक जाते हैं। उनको अपने घर का पता व माता-पिता के नाम की उचित जानकारी नहीं होती। उनके जीवन का एक हिस्सा आश्रय स्थलों में बीत जाता है। वो जीवन भर अपने मां-बाप की राह ताकते रहते हैं। अमीर लोगों के ढूंढ़ने के अनेक साधन हैं। लेकिन जो मां-बाप गरीब होते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर आश्रय गृहों का एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए, जिसमें सभी बच्चों की सूची हो और लोग आसानी से अपने बच्चों को खोज सकें।

सभी जिलों में आश्रय गृह नहीं है जो वास्तव में बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक नकारात्मक पहलू है। कोई भी बच्चा चाइल्डलाइन अथवा बाल कल्याण समिति के सम्पर्क में आता है तो यह सबसे बड़ी समस्या है कि वह उसको कहां रखें। वर्तमान में आश्रय गृह दूर जिलों में है जिससे बच्चों अगर वहां छोड़ा जाता है तो बच्चे का पता ट्रेस करने में काफी परेशानी होती है। कहीं जगह पर आश्रय गृहों में बच्चे वहां की क्षमता से अधिक हो जाते हैं तो अधीक्षक लेने से मना करते हैं। जब कि बालकों की सुरक्षा को देखते हुए हर जिलें में स्थायी आश्रय गृह होने चाहिए अगर यह तत्काल सम्भव नहीं है तो अस्थायी आश्रय गृह हर जिले में होने चाहिए।

स्कूलों में शारीरिक दण्ड के काफी केस आते हैं जिनमें अध्यापक बच्चों को

फीस, होमवर्क, अनुशासन व ईर्ष्यावश बच्चों को शारीरिक दण्ड देते हैं तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। यह भी एक गम्भीर मुद्दा है। जिससे बच्चों का मन स्कूलों में नहीं लगता और वे स्कूल छोड़ देते हैं। ट्यूशन पढ़ने को लेकर भी इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। प्रत्येक स्कूलों में काउंसलर अथवा सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त होने चाहिए जिससे वे बच्चे और विद्यालय में समन्वयक स्थापित कर सकें।

चिकित्सीय वाले मामले भी बच्चों के काफी सारे आते हैं। जिनमें गरीब बच्चों के अभिभावक काफी परेशान होते हैं। गम्भीर रोगों का आधुनिक इलाज अब भी सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है। कई बार ऐसे देखा गया है कि निजी हॉस्पिटलों में गरीब अभिभावक एडमिट करा देते हैं लेकिन उनका सामान्य रोगों के लिए भी लाखों रुपयों का बिल आता है जो अभिभावकों के पास नहीं होता है। कई बार कुछ बच्चों को शारीरिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। जो काफी महंगी होती है। चाइल्डलाइन अथवा बाल कल्याण समिति के पास इतने संसाधन नहीं है कि वे ऐसे बच्चों की मदद कर सकें। गरीब बच्चों के अभिभावकों के लिए निजी हॉस्पिटलों में सामाजिक उत्तरदायित्व फण्ड के तहत उनका इलाज होना चाहिए और सरकारी हॉस्पिटलों में बच्चों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे इन बच्चों का आसानी से इलाज हो सके। पुलिस थानों में भी बाल मित्र पुलिस का व्यवहार होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि पुलिस चाइल्डलाइन अथवा बाल कल्याण समिति के विषय में जागरुक नहीं है। इसके लिए वृहद स्तर पर जागरुक करने की आवश्यकता है। जैसे ही कोई आवश्यकता वाला बच्चा आये तो तुरन्त उनकी मदद होनी चाहिए। जो बहुत जरूरी है। बाल विवाह आदि मुद्दों पर तुरन्त कार्यवाई की आवश्यकता है। दिव्यांग बच्चों के लिए जिले में हर समय जिला दिव्यांग अधिकारी के लिए उनके सहायक उपकरण उपलब्ध होने की जरूरत है। कई बार ऐसे लोगों को उपकरण की जरूरत होती है जो उन्हें कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे परेशान होकर वे सोचते हैं कि इससे अच्छा खरीद लिया जाये तो अच्छा है। इनके स्वास्थ्य की नियमित जांच की काफी जरूरत है।

बच्चों से जुड़े सभी विभागों के कार्यालय एक जगह पर होने चाहिए। जिससे बच्चों की समस्याओं का तुरंत निपटारा हो सके। बच्चों के लिए सरकारों को अलग से वेब पोर्टल तैयार करने की आवश्यकता है। जिसमें उनके सुझाव, शिकायत दर्ज हो सके।

-संजीव कुमार
सामाजिक कार्यकर्ता
खेडामस्तान, मु०नगर

उत्कर्ष प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें

पुस्तक का नाम	*संकलन*	*लेखक/कवि*	*मूल्य*
प्रियदर्शिनी श्रीराधे	काव्य संग्रह	अजित कुमार 'अजीत'	80
आसमान को छू लें हम	काव्य संग्रह	प्रदीप कुमार 'सरावा', मेरठ	50
कवि की कीर्ति	काव्य संग्रह	दिनेश जांगड़ा, हिसार	51
एहसास तेरे	काव्य संग्रह	डॉ0 सुदर्शन दीवान, जबलपुर	101
प्रेरणा	आत्मकथा	शकुन्तला कौशिक	101
सिसकता दिल	गज़ल संग्रह	डॉ0 सरोजिनी'तन्हा',सहारनपुर	250
श्रीदुर्गतिविनाशिनी	धार्मिक	सुरेश कुमार चौधरी, कलकत्ता	101
मेरे बाद	काव्य संग्रह	सत्यम शिवम, बिहार	150
प्रतिनिधि लघुकथाएँ	लघुकथा संग्रह	डॉ0 सुधाकर आशावादी	80
अभिनन्दन ग्रन्थ	आत्मकथा	दुलीचन्द वेदी	400
हनुमत महिमा	हनुमान चालीसा	राज शिवम, मोतीहारी, बिहार	10
शंखनाद	कविता संग्रह	सर्वेश तिवारी 'श्रीमुख', बिहार	51
आवारगी नोनस्टोप	हास्य काव्य संग्रह	हास्य कवि 'आवारा जी' दिल्ली	50
तीसरी आँख	काव्य संग्रह	प्रहलाद पारीक, भीलवाड़ा	150
क्रान्ति खून मांगती है	काव्य संग्रह	राजेन्द्र 'राजे'	350
गुमनाम शहीद क्रान्तिकारी	काव्य संग्रह	डोरीलाल भास्कर	101
मर्द ऐसे भी होते हैं	कहानी संग्रह	सुजाता, भगलपुर, बिहार	101
धनुष यज्ञ	खण्ड काव्य	सुरेश कुमार मिश्रा, सतना, म0प्र0	100
सत्यमेव जयते	समसामयिक	गोविन्द गोयल, श्रीगंगानगर, राज.	125
आर्यचेतस्	काव्य संग्रह	डॉ. वेंकटेश कात्यायन, झारखण्ड	150
जीवन के कुछ पल	काव्य संग्रह	डोरीलाल भास्कर	200
जज़्बात	काव्य संग्रह	डॉ0 अरुणा 'राजीव', भटिण्डा	100
विज्ञ पुरुष डॉ0 किरण सिंह	महाकाव्य	डोरीलाल भास्कर	350
टिम टिम तारे	बाल काव्य संग्रह	सपना मांगलिक	95
सफलता रास्तों से मंजिल तक	लेख संग्रह	सपना मांगलिक	100
श्रद्धांजलि	काव्य संग्रह	कौशल अस्थाना	100
इक उम्र मुकम्मल	ग़ज़ल संग्रह	करीम पठान अनमोल	50
कही–अनकही	काव्य संग्रह	प्रमोद बिंयाला, मुम्बई	100
हाशिये पर ज़िन्दगी	ग़ज़ल संग्रह	सतीश तिवारी	100
जननायक लोहिया	प्रबन्ध काव्य	कमला सिंह 'तरकश'	255
नागार्जुन के काव्य में सामान्य जन का चित्रण		डॉ. राजमुनि, वाराणसी	250
समकालीन विमर्श: युवा सोच और संवेदना		रवि कुमार गोंड, अम्बेडकर नगर	250
विद्वान कवियों का अन्तर्मन संयुक्त काव्य संग्रह		हेमन्त शर्मा	250
The Poet Inside me will never die	**Noval**	**Mukesh Panday, New Delhi**	**100**
Shattered Destination: Apath Untravelled	**Noval**	**Kumar Deepak**	**99**

(50 % छूट पर पुस्तक मंगवायें) उत्कर्ष प्रकाशन

142, शाक्य पुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ, (उ.प्र.)। फोनः 0121–2632902, 9897713037, 08791681996

Website: www.utkarshprakashan.com, Email: uttkarshprakashan@gmail.com